रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 26, 2015/कार्तिक 4, 1937
No. 656] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 26, 2015/KARTIKA 4, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक नीति और संवर्द्धन विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्तूबर, 2015

सा.का.नि. 806(अ).—कतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 159 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त धारा की उप-धारा (3) द्वारा यथापेक्षित, पेटेंट नियम, 2003 में और संशोधन करने के लिए केन्द्रीय सरकार प्रस्ताव करती है, जो ऐसे सभी व्यक्तियों के सूचनार्थ, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है; और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप यह अधिसूचना प्रकाशित करने वाले भारत के शासकीय राजपत्र की प्रतियाँ जनसाधारण को उपलब्ध कराए जाने के तीस दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके बाद विचार स्वीकार किया जाएगा;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हो, उसे सचिव, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110 011 अथवा rajiv.aggarwal@nic.in. पर ई-मेल भेजी जा सकती है;

उक्त प्रारूप नियमों की बाबत किसी व्यक्ति से विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त किसी आक्षेप और/या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पेटेंट (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये राजपत्र मे अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पेटेंट नियम, 2003 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 2 में-

खंड (ग) के पश्चात निम्नलिखित खंड अंत:स्थापित किया जाएगा अर्थात :-

"(गक) "सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण" का से सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (2000 का 21) की धारा 5 के अनुसार अंकीय हस्ताक्षर के द्वारा प्रमाणीकरण अभिप्रेत है ;

3. मूल नियमों में, नियम 5 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा अर्थात:-

"5. प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो अधिनियम या इन नियमों से संबद्ध कार्यवाहियों से संबन्धित है और प्रत्येक पेटेंटधारी नियंत्रक को भारत में तामील के लिए एक डाक पता देगा और एक ईमेल पता तथा भारतीय सेवा प्रदाता द्वारा प्रदत्त मोबाइल नंबर देगा और ऐसी कार्यवाहियों या पेटेंट से संबन्धित सभी प्रयोजनों के लिए वह पता उन कार्यवाहियों से संबन्धित व्यक्ति या पेटेंटधारी का पता माना जा सकेगा। ऐसा पता न दिये जाने पर नियंत्रक पर यह बाध्यता नहीं होगी कि वह पेटेंट या किसी भी कार्यवाही प्रारम्भ करे या उस पर कोई कार्य अथवा अधिनियम या इनके नियमों के अधीन दी जाने वाली कोई सूचना भेजे और नियंत्रक इस संदर्भ में स्वतः निर्णय ले सकेगा"।

4. मूल नियमों में, नियम 6 में,-

i) उप-नियम (1) में शब्द "या कोरियर सेवा" जहां जहां वे आते हैं उनका लोप किया जाएगा।

ii) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित - उप नियम अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात ;

"(1क) उप-नियम (1) मे अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, पेटेंट कार्यालय मे रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता सभी दस्तावेज सम्यक प्रमाणीकृत करके सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा भेजेगा। परंतु किसी भी फाइल किए जाने वाले मूल दस्तावेज़ की स्कैन की गयी प्रति भी इलेक्ट्रॉनिक रूप मे संप्रेषित की जाएगी।";

iii) उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:

उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:

"(2) पेटेंटधारी को, पेटेंट रजिस्टर में लिखे हुए उसके डाक पते अथवा ई-डाक पर अथवा नियम 5 के अधीन दिये गए तामील के लिए उसके पते पर अथवा अधिनियम या इन नियमों के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों में किसी आवेदक या विरोधी को उस आवेदन या विरोध की सूचना में दिये गए, अथवा तामील के लिए दिये गए डाक पते अथवा ई-डाक, पर भेजी गयी किसी लिखित संसूचना के बारे में यह समझा जाएगा कि उस पर उचित रूप से पता लिखा गया है।";

iv) उप-नियम (3) में, शब्द "या कोरियर सेवा" का लोप किया जाएगा;

v) उप-नियम (4) में, शब्द "या कोरियर" का लोप किया जाएगा;

vi) उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

vii) "(6) उप-नियम (5) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी आवेदक द्वारा, जहां उसका निवास है अथवा वह व्यवसाय के लिए आया है, वहाँ युद्ध या प्राकृतिक आपदा जिसे उस देश की सरकार द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया हो उसकी वजह से पेटेंट कार्यालय मे किसी दस्तावेज़ के पारेषण या पुन: प्रस्तुत करने में विलंब को नियंत्रक द्वारा माफ किया जा सकेगा: परंतु आवेदक नियंत्रक को उस देश की सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रभाव का प्रमाण पत्र / अधिसूचना प्रस्तुत करे कि ऐसी गंभीर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी जिससे प्रसमान्य संचार व्यवधान हो गया था और ऐसी प्राकृतिक आपदा या युद्ध के समाप्त होने के एक महीने के भीतर यथोचित संभव समय में आवेदक द्वारा सुसंगत कार्रवाई की गयी थी;

परंतु, यह कि नियंत्रक द्वारा माफ किया गया विलंब राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव की अवधि से अधिक नहीं होगा।"

5. मूल नियमों में, नियम 7 में,-

i) उप-नियम (2) के खंड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:

"(क) अधिनियम अथवा नियम के अधीन संदेय फीस समुचित कार्यालय में या तो नकद दी जा सकती है या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या नियंत्रक, पेटेंट को संदेय और उस स्थान पर किसी अनुसूचित बैंक में आहरित जहां उपयुक्त कार्यालय स्थित है, बैंक ड्राफ्ट या बैंकर चैक द्वारा भेजी जा सकेगी। यदि ड्राफ्ट या बैंककार चैक डाक भेजा जाता है तो यह समझा जाएगा कि फीस का संदाय उस तारीख को किया गया है जिसको ड्राफ्ट या बैंकर चैक नियंत्रक को वास्तविक प्राप्त हुआ है।"

ii) उप-नियम (2) में खंड (ख) का लोप किया जाएगा।

iii) उप-नियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"4 इस बात के होते हुए भी कि कार्यवाही की गयी है अथवा नहीं, किसी कार्यवाही की बाबत एक बार भुगतान किया गयी फीस समान्यतः वापस नहीं की जाएगी:

परंतु, यदि नियंत्रक से समाधान हो जाता है कि ऑनलाइन फाइलिंग प्रक्रिया के दौरान एक ही कार्यवाही के लिए एक से अधिक बार भुगतान किया गया है तो अतिरिक्त फीस प्रतिदाय कर दी जाएगी:

परंतु, यह और भी कि किसी भी कार्यवाही के लिए अपेक्षित फीस से अधिक भुगतान किया जाता है, तब वह प्रतिदाय नहीं किया जाएगा।

4 क उप-खंड 4 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, नियम 24 ख के उप नियम (1क) के अधीन आवेदन करने पर परीक्षण हेतु अनुरोध के लिए संदत्त फीस प्रथम अनुसूची में निर्धारित सीमा तक वापस की जा सकती है और इसके परिणामस्वरूप ऐसे परीक्षण हेतु अनुरोध को फाइल नहीं किया समझा जाएगा"।

6. मूल नियमों में, नियम 8 में,उप-नियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) जहां किसी प्रयोजन के लिए कोई प्ररूप विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है, आवेदक दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्ररूप 30 का उपयोग कर सकता है।"

7. मूल नियमों में, नियम 13 में,-

(i) उप-नियम 4 के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(4) जहां आविष्कार का रेखाचित्रों द्वारा स्पष्टीकरण अपेक्षित किया जा सकता हो वहाँ ऐसे रेखाचित्र नियम 15 के उपबंधों के अनुसार तैयार किए जाएँगे और उन्हे ब्यौरे और दावे तथा विशेषताओं के सचित्र वर्णन के संदर्भ में उसके साथ दिया जाएगा एवं उनके हस्ताक्षर द्वारा उस रेखाचित्र में उपयुक्त कोष्ठक में विस्तार से दिया जाएगा:

परंतु सम्पूर्ण विनिर्देश की दशा में, यदि आवेदक अपने अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए रेखाचित्रों को सम्पूर्ण विनिर्देश के रेखाचित्रों के रूप में या उनके भाग के रूप में वांछा करना चाहता है तो उन्हे ब्यौरे और दावों में इस प्रकार निर्दिष्ट कर देना पर्याप्त होगा कि वे वही हैं जो अनंतिम विनिर्देश के साथ दिये गए हैं।";

(ii) उप-नियम (7) के खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात:-

"(ख) सार विनिर्देश में, अंतर्विष्ट विषय-वस्तु का सूक्ष्म सारांश अंतर्विष्ट होगा और सार में, आविष्कार किस तकनीकी क्षेत्र के अंतर्गत आता है, विद्यमान ज्ञान की तुलना में आविष्कार कितना उन्नत है और कल्पित उपयोग को छोड़कर आविष्कार के मुख्य उपयोग को स्पष्ट रूप से दर्शाया जायेगा और जहां आवश्यक हो, सार में उस आविष्कार की विशेषता बताने वाला तकनीकी सूत्र अंतर्विष्ट होगा";

(iv) उप-नियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(8) वह अवधि जिसके भीतर निक्षेप के प्रति निर्देश धारा 10 की उपधारा (4) के खंड (ii) के उपखंड (अ) के अधीन विनिर्देश में किया जाएगा, आवेदन फाइल किए जाने की तारीख से तीन मास होगी;

परंतु, शीघ्र प्रकाशन के अनुरोध के मामले में, ऐसा निर्देश खंड 11(क) के उप खंड (2) के अंतर्गत शीघ्र प्रकाशन के लिए अनुरोध फाइल करने की तारीख या उससे पूर्व किया जाना चाहिए।"

(9) यदि विनिर्देश में प्रकट आविष्कार में भारत की जैविक सामग्री का उपयोग होता है, आवेदक को प्ररूप 1 में घोषणा देनी होगी कि पेटेंट अनुदान से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करेगा। और

(10) यदि आवेदक अधिनियम की धारा 21 के अधीन आवेदन के अनुदान के लिए नियम 24 ख और 24 ग में निहित अवधि के भीतर सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत नहीं कर पता है, तो नियंत्रक, धारा 15 के अधीन समुचित आदेश पारित कर सकता है।

8. मूल नियमों मे, नियम 14 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात:-:

"14. विनिर्देशों मे संशोधन:-

(1) जब पूर्ण विनिर्देश अथवा संलग्न रेखाचित्र संशोधित किया गया हो तो ऐसा पृष्ठ पर संशोधन हैं उसे सतत दस्तावेज़ के लिए रूप में पुनः टंकित और प्रस्तुत किया जाये।

(2) विनिर्देश अथवा रेखाचित्र जिसमे संशोधन किया हो उसकी एक चिह्नित प्रतिलिपि संशोधनों को दर्शाती और वह भाग दर्शाती जहां संशोधन किया गया हो (पृष्ठ संख्या और पंक्ति संख्या) भी फाइल की जाये।

(3) संशोधन स्लिप चिपकाकर, या पाद टिप्पणों के रूप में या दस्तावेजों में से किसी की मार्जिन में लिख कर नहीं किए जाएँगे। और

"(क) जब फिर से लिखा पृष्ठ या संशोधनों को शामिल किए हुए पृष्ठ प्रस्तुत किए जाएँगे, तो पहले के पृष्ठ को आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा अधिक्रमित और रद्द कर दिया गया है समझा जाएगा"।

9. मूल नियमों में, नियम 20 में,उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

'(1) धारा 7 की उप-धारा (1क) के अधीन पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत किसी अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप आवेदन प्ररूप 1 में किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस नियम के प्रयोजन के लिए, "अंतरराष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप से पेटेंट सहयोग संधि के अंतर्गत फाइल आवेदन जिसमें अनुच्छेद 19 के तहत आवेदक द्वारा किए गए संशोधन सम्मिलित हैं, और अनुच्छेद 20 के अधीन अभिहित कार्यालय को संप्रेषित, या संधि के अनुच्छेद 34 के खंड (2) के उप-खंड (ख) के तहत संशोधन अभिप्रेत है।"

10. मूल नियमों में, नियम 24 ख में,

(i) उप-नियम (1) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

(1क) नियम 24ख के उप-नियम (2) के खंड (i) के अधीन नियंत्रक द्वारा परीक्षक को आवेदन निर्दिष्ट किए जाने से पहले आवेदक द्वारा प्ररूप 29 में आवेदन करके परीक्षण के लिए अनुरोध वापस लिया जा सकता है और ऐसे परीक्षण के लिए अनुरोध को फाइल नहीं किया समझा जाएगा।;

(ii) नियम 24 ख के उप-नियम (2) के खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"2(i) उप-नियम (1) के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल किए जाने पर और धारा 11क के अधीन आवेदन का प्रकाशन होने पर, नियंत्रक आवेदन, विनिर्देश और अन्य संबन्धित दस्तावेज़ परीक्षक को निर्दिष्ट करेगा और यह संदर्भ अनुरोध फाइल करने के क्रम में किया जाएगा:

परंतु यह और कि, धारा 16 के अधीन और आवेदन फाइल करने के संदर्भ में, ऐसे आवेदन का अनुक्रम वही होगा जो पहले उल्लिखित आवेदन का है।

परंतु यह और कि यदि पहले उल्लिखित आवेदन परीक्षण के लिए भेजा जा चुका है तो अगले आवेदन को परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल होने के तुरंत बाद परीक्षक के पास निर्दिष्ट जाएगा।";

(iii) उप-नियम (3) और (4) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखे जाएंगे, अर्थात:-

"(3) सामान्यतः उप-नियम (2) के खंड (iii) के तहत नियंत्रक द्वारा परीक्षक की रिपोर्ट के निपटान की तिथि से एक मास के भीतर आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को प्रथम परीक्षण रिपोर्ट अन्य अपेक्षित दस्तावेज के साथ प्रेषित की जाएगी:

परंतु, उस दशा में जहां अन्य हितबद्ध व्यक्ति परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल करता है, ऐसे परीक्षण की केवल एक संसूचना उस हितबद्ध व्यक्ति को भेजी जाएगी। और

(4) धारा 21 के अधीन आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से जिसको आवेदक को परीक्षण का अपेक्षा करने के लिए परीक्षण का प्रथम कथन जारी किया गया था, से चार मास होगा। और

(5) उप-नियम (4) में विहित अवधि की समाप्ति से पूर्व नियंत्रक को उप नियम (4) में विहित प्ररूप 4 में निर्धारित फीस के साथ समय विस्तार के लिए आवेदन किए जाने पर उप नियम (4) की धारा 21 के तहत आदेश के लिए किसी आवेदन को प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित समय का दो मास के लिए विस्तार किया जा सकता है।

(6) नियंत्रक उप-नियम (1) के अधीन किए गए आवेदन की प्रथम परीक्षण रिपोर्ट के अंतिम उत्तर प्राप्त होने से छह मास की अवधि के भीतर या अधिनियम की धारा 21 के अधीन अनुदान के लिए आदेश के लिए आवेदन को प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो उस अवधि में आवेदन का निपटारा करेगा।

(7) उप-नियम (6) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वे आवेदन जिनकी प्रथम परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर पेटेंट (संशोधन) नियम, 2015 के प्रारंभ होने की तारीख या उससे पहले फाइल किया गया है, और उप-नियम (4) और उप-नियम (5) मे विहित अनुदान हेतु आदेश के लिए आवेदन की तारीख निकल गयी है, नियंत्रक ऐसे आवेदनों का निपटारा अंतिम उत्तर प्राप्त होने की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर करेगा।"

11. नियम 24 ख के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

" 24 ग आवेदनों का त्वरित परीक्षण,-(1) आवेदक प्ररूप 18 क में प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ निम्नलिखित आधारों पर सम्यक रूप से अधिप्रमाणित इलेक्ट्रॉनिक पारेषण द्वारा नियम 24 ख में विहित अवधि के भीतर शीघ्र परीक्षा के लिए आवेदन कर सकता है, अर्थात:-

(क) आवेदक ने उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन नियम 19 क और 19 च जैसा लागू हो, के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकरण और/ या अंतर्राष्ट्रीय प्रारम्भिक परीक्षा प्राधिकारी, के रूप में अभिहित किया है; या

(ख) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) ने भारत में आविष्कार का निर्माण शुरू कर दिया है; या

(ग) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) यह वचनबंध देते हैं कि पेटेंट अनुदान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा:

परंतु, (ख) और (ग) के अधीन फाइल किए गए त्वरित परीक्षण के लिए आवेदनों पर निम्न स्थितियों में से प्रत्येक की पूर्ति के बाद विचार किया जाएगा, अर्थात:-

i) आवेदक, त्वरित जांच के लिए अनुरोध फाइल करते समय केन्द्रीय सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अपेक्षित पर्याप्त पूंजी और निर्माण के लिए अपेक्षित सुविधाओं या पर्याप्त मात्रा में भारत में आविष्कार का निर्माण कर सकने के समर्थन में एक साक्ष्य के रूप में भारत के एक अनुसूचित बैंक या अधिकृत वित्तीय संस्था या प्रमाणित लेखा परीक्षक से एक पुष्टि बयान प्रस्तुत करेगा; और

ii) भावी विनिर्माता जो अनुज्ञप्तिधारी होगा, लाइसेंसधारी के साथ आवेदक या उसके समनुदेशिती द्वारा किया गया अनुज्ञप्ति करार प्रस्तुत करेगा, और

iii) अनुरोध किये गये विनिर्देश के दावों की संख्या बीस से अधिक न हो और एक ही आविष्कार या आविष्कारों के समूह जिनकी एकल मौलिक अवधारणा से संबन्धित हों, और

iv) आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी), शीघ्र प्रकाशन के लिए आवेदन करते समय प्ररूप 27 क में इस प्रभाव का शपथ-पत्र प्रस्तुत करेगा-

क) यदि पेटेंट अनुदान होता है तो अनुदान की तारीख से दो वर्ष के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ हो गया है या प्रारम्भ हो जाएगा;

ख) भारत में केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित मात्रा में आविष्कार का विनिर्माण करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित पूंजी और सुविधाएं उपलब्ध हैं; और

ग) आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) स्वयं को या उसको अपेक्षित मात्रा में भारत में पेटेंट आविष्कार का निर्माण करने के लिए बाध्य करता है।

(3) जिस आवेदक ने पहले से नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए अनुरोध फाइल कर दिया है, वह उस उक्त अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन यथाअपेक्षित बकाया फीस का भुगतान कर और वांछित दस्तावेज़ जमा कर नियम 24 ग के तहत त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध के रूप में परिवर्तित कर सकता है और परिणामस्वरूप त्वरित परीक्षण के लिए दाखिल ऐसे अनुरोध दाखिल करने की तारीख वह होगी जिस तारीख को आवेदक द्वारा वांछित दस्तावेज़ के साथ परिवर्तन हेतु फीस का संदत्त किया गया हो।

(3) यदि आवेदक उस आधार का समाधान करने में असफल रहता है जिसके आधार पर परीक्षण के लिए त्वरित अनुरोध फाइल किया गया है अथवा उप-नियम (1) में यथा उल्लिखित शर्तों में से किसी को पूरा करने में विफल रहता है तो नियंत्रक ऐसे अनुरोध को त्वरित परीक्षण के लिए परीक्षक के पास नहीं भेजेगा और आवेदक को सूचित करते हुए उस अनुरोध पर नियम 24 ख के तहत ही कार्यवाही की जाएगी:

परंतु, त्वरित परीक्षण के लिए प्रदत्त फीस प्रतिदाय नहीं की जाएगी।

(4) त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, नियंत्रक उसे आवेदन और विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ के साथ अनुरोध फाइल होने के क्रमानुसार परीक्षक को निदेशित करेगा।

(5) वह अवधि जिसके भीतर परीक्षक, धारा 12 की उपधारा (2) के अधीन रिपोर्ट बनाएगा, वह साधारणतया नियंत्रक द्वारा उन्हें वह आवेदन प्रेषित करने की तारीख से एक मास होगी किन्तु दो मास से अधिक नहीं होगी।

(6) जिस अवधि के भीतर नियंत्रक परीक्षक के रिपोर्ट का निपटान करेगा वह नियंत्रक द्वारा रिपोर्ट प्राप्त करने की तारीख से साधारणतया एक मास होगी।

(7) आवेदन और विनिर्देश के साथ प्रथम परीक्षण रिपोर्ट नियंत्रक द्वारा आवेदक या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता को तुरंत किन्तु परीक्षक अपश्चात के रिपोर्ट के निपटान के एक महीने के भीतर भेजी जाएगी।

(8) त्वरित परीक्षण के उत्तर में प्रथम परीक्षण रिपोर्ट का उत्तर और परवर्ती उत्तर, यदि कोई हो, पर उसी अनुक्रम में कार्य किया जाएगा जिस क्रम में वे प्राप्त होंगे।

(9) धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान करने के लिए प्रस्तुत करने का समय उस तारीख से चार मास का होगा जिससे आवेदक को अपेक्षाओं की पूर्ति करने के लिए परीक्षण का प्रथम कथन जारी किया गया था।

(10) उप नियम (9) में यथाविहित धारा 21 के अधीन किसी आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने के समय में दो महीने का और विस्तार और दिया जा सकता है जब उप-नियम (9) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अवधि समाप्ति के पूर्व नियंत्रक के समक्ष विहित फीस के साथ समय विस्तार के लिए प्ररूप 4 पर विस्तार हेतु अनुरोध किया गया हो।

(11) नियंत्रक, उस आवेदन का निपटान प्रथम परीक्षण रिपोर्ट के अंतिम उत्तर की प्राप्ति की तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर या धारा 21 के अधीन आवेदन को अनुदान के लिए प्रस्तुत करने की अंतिम तारीख से तीन महीने की अवधि के भीतर, जो भी पूर्ववर्ती हो, करेगा।

(12) "आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी विनिर्माता प्रत्येक वर्ष भारत में उस आविष्कार के विनिर्माण संबंधी प्रास्थिति रिपोर्ट नियंत्रक के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

(13) उप-नियम (1) और (2) में किसी बात के होते हुए भी, नियंत्रक शासकीय जर्नल में उस त्वरित परीक्षण की सूचना प्रकाशित कर वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले त्वरित परीक्षण के लिए अनुरोध की संख्या सीमित कर सकता है।

नियम 24 ग के पश्चात, नया नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:

"नियम 24 घ. विरोध कार्यवाही और मिथ्या अभ्यावेदन का परिणाम (1) उस आवेदन को प्रक्रियागत करने के लिए जिसके लिए त्वरित परीक्षण हेतु अनुरोध फाइल किया गया है, अनुदान पूर्व और अनुदानोत्तर विरोध प्रक्रिया के लिए अधिनियम और उसके अंतर्गत बने नियम के संगत उपबंध, यथास्थिति, आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(2) आवेदक या उसके समनुदेशिती या भावी विनिर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) द्वारा त्वरित परीक्षण फाइल करने और उसके बाद कोई निराधार सूचना/निराधार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने, अथवा त्वरित परीक्षण सुविधा का लाभ उठाकर पेटेंट प्राप्त करने और पेटेंट अनुदान के बाद अधिनियम और नियमों में विहित शर्तों का अनुपालन नहीं करने के कारण अधिनियम के संगत उपबंधों के अधीन निरसन हो सकता है, यदि अनुदत्त हो।

12. मूल नियमों मे, नियम 26 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"26. धारा 11ख की उप-धारा (4) के तहत आवेदन के प्रत्याहर का अनुरोध प्ररूप 29क में किया जाएगा।"

13. मूल नियमों मे, नियम 28 में, उप-नियम (5) के बाद निम्नलिखित उप-नियम (6)अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

"(6) वीडियो-कनफेरेंसिंग या अन्य व संचार के माध्यम से भी सुनवाई की जा सकती है और, उन मामलों में, सुनवाई की तारीख से 15 कार्य दिवसों के भीतर लिखित निवेदन और सम्बद्ध दस्तावेज़ फाइल किए जाने चाहिए।"

"स्पष्टीकरण – इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "संचार के युक्ति" का पद वही है जो उसे सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के 21 की धारा 2 की उप-धारा (ii) के खंड (ज क) मे दिया गया है।

14. मूल नियमों मे, नियम 55 में, उप-नियम (4), (5) और (6) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखे जाएँगे, अर्थात:-

"(4) उप-नियम (3) के अधीन नोटिस प्राप्त होने पर आवेदक, यदि वांछा हो, तो नोटिस की तारीख से तीन महीने के भीतर अपने आवेदन के समर्थन में अपना कथन और साक्ष्य, यदि कोई हो, विरोधी को एक प्रति देते हुए,फाइल करेगा।

(5) आवेदक द्वारा फाइल किए गए कथन और साक्ष्य पर विचार कर नियंत्रक या तो उस आवेदन पर पेटेंट अनुदान अस्वीकार कर सकता है अथवा पेटेंट अनुदान करने से पहले पूर्ण विनिर्देश और अन्य दस्तावेज़ में समाधान होने तक संशोधन करने की माँग कर सकता है।

(6) सुनवाई के दौरान प्रस्तुत अभ्यावेदन, यदि उसका अनुरोध किया गया हो, पर विचार करने के बाद नियंत्रक साधारणतया उस अभ्यावेदन पर उपर्युक्त प्रक्रिया पूर्ण होने से एक महीने के भीतर अपना निर्णय देगा।"

15. मूल नियमों मे, नियम 71 में उप-नियम (2), के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"(2) वह समय सीमा जिसके भीतर नियंत्रक उप-नियम (1) के अंतर्गत किए गए अनुरोध का निपटान, प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा से संबन्धित आविष्कारों के लिए किए गए आवेदनों के अतिरिक्त, समान्यतया वह अनुरोध फाइल किए जाने की तारीख से इक्कीस दिन की अवधि के भीतर होगी।

(3) प्रतिरक्षा और आण्विक ऊर्जा से संबन्धित आविष्कारों के लिए किए गए आवेदनों के संदर्भ में इक्कीस दिनों की अवधि की गणना केंद्रीय सरकार से सहमति प्राप्त होने की तारीख से की जाएगी।"

16. मूल नियमों मे, नियम 93 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

"93. नवीकरण फीस की प्रवृष्टि :- पेटेंट के संबंध मे निर्धारित नवीकरण फीस का भुगतान प्राप्त होने पर, नियंत्रक पेटेंट रजिस्टर में उस शुल्क के भुगतान की तारीख और इस तथ्य की प्रविष्टि करेगा कि फीस का भुगतान कर दिया गया है और पेटेंट नवीकरण प्रमाणपत्र निर्गत करेगा।"

17. मूल नियमों मे, नियम 103 मे, उप-नियम (2) के खंड (ii) के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-

(ii) न्यूनतम पंद्रह वर्ष तकनीकी, व्यवहारिक और अनुसंधान अनुभव हो; और"

18. मूल नियमों मे, **नियम 103 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:**

"103क. वैज्ञानिक सलाहकार नामावली मे नाम सम्मिलित होने की निरर्हताएं – कोई व्यक्ति वैज्ञानिक सलाहकार नामावली मे शामिल होने का पात्र नहीं होगा, यदि वह –

(i) सक्षम न्यायालय द्वारा विकृत चित्त का न्याय निर्णीत किया गया हो;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो;

(iii) अनुन्मोचित दिवालिया होने पर भी, उसने न्यायालय से इस आशय का प्रमाणपत्र अभिप्राप्त नहीं किया है कि उसके दिवालियापन का कारण उसकी ओर से किसी अवचार के बिना ही दुर्भाग्य था;

(iv) भारत मे या भारत के बाहर किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया है और कारावास का दण्ड दिया गया है, जब तक कि जिस अपराध का उसे सिद्धदोष ठहराया गया है वह क्षमा न कर दिया गया हो या उसके द्वारा दिये गए आवेदन पर केंद्रीय सरकार ने इस निमित आदेश द्वारा, निर्योग्यता हटा न दी हो;

(v) वृत्तिक अवचार का दोषी है; या

(vi) उपेक्षा या अवचार का दोषी है।"

19.. **मूल नियमों मे, नियम 104 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"104. वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली मे सम्मिलित होने के लिए आवेदन की विधि- कोई भी हितबद्ध व्यक्ति अपना बायोडाटा देने पर अपना नाम वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली मे सम्मिलित करने के लिए आवेदन कर सकता है।"

20. . **मूल नियम नियमों मे, नियम 107 मे, खंड (ग) और उसमे दिये गए उपबंधों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"(ग) ऐसे व्यक्ति को किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो और कारावास का दण्ड दिया गया हो या वह अपनी वृत्तिक हैसियत मे कदाचार का दोषी रहा हो और नियंत्रक की यह राय हो कि उसका नाम नामावली से हटा दिया जाना चाहिए; या

(घ) जब उसकी मृत्यु हो जाए;

परंतु , ऊपर खंड (ख) के अधीन मामलों के सिवाय, इस नियम के अधीन वैज्ञानिक सलाहकारों की नामावली से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।

21. **मूल नियमों मे, नियम 108 के** उप-नियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

(1) धारा 125 के अधीन रखे गए पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर मे प्रत्येक पंजीकृत पेटेंट अभिकर्ता के नाम, राष्ट्रीयता, कारोबार का मुख्य स्थान का पता, शाखा कार्यालयों के पते, यदि कोई हों, अर्हताएँ, रजिस्ट्रीकरण की तारीख और रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण का ब्यौरा अंतर्विष्ट होगा।

22. **मूल नियमों मे, नियम 109 मे,** उप-नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(3) ऐसा कोई व्यक्ति जो नियम 110 के अधीन परीक्षा मे शामिल होने की बांछा करता है, परीक्षा की अधिसूचना के उपरांत और अधिसूचना मे निर्दिष्ट अवधि के भीतर, प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ नियंत्रक को अनुरोध करेगा।"

23. **मूल नियमों मे, नियम 116 मे, खंड (घ) के स्थान निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"(घ) जब उसने नियम 115 मे विनिर्दिष्ट फीस के संदाय मे उनके देय होने के तीन मास पश्चात तक व्यतिक्रम किया हो; या

(ङ) वह भारत का नागरिक नहीं रहता है;

परंतु, खंड (क) और (ख) के अंतर्गत छोड़कर, इस नियम के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रजिस्टर से किसी व्यक्ति का नाम हटाए जाने से पूर्व, ऐसे व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा।"

24. **मूल नियमों मे, नियम 129 के पश्चात, निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-**

"129क - सुनवाई का स्थगन – पेटेंट के लिए आवेदक या कार्यवाही का पक्षकार, सुनवाई की तारीख से कम से कम पाँच कार्य दिवस पहले उचित कारण पर प्रथम अनुसूची मे विनिर्दिष्ट फीस के साथ सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध कर सकता है और नियंत्रक, यदि वह ऐसा करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निर्दिष्ट करे सुनवाई स्थगित कर सकता है और तदनुसार आवेदक को संसूचित कर सकता है।

परंतु नियंत्रक द्वारा सुनवाई तीन अवसर से अधिक स्थगित नहीं होगी और प्रत्येक स्थगन की अवधि पन्द्रह दिन से अधिक नहीं होगी।"

25. **मूल नियमों मे, नियम 133 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात:-**

"133 – धारा 72 और धारा 147 के अधीन प्रमाणित प्रतियों और प्रमाणपत्रों का प्रदाय करना –

(1) पेटेंट कार्यालय मे रजिस्टर की किसी प्रविष्टि की प्रमाणित प्रतियाँ, या पेटेंटों से, विनिर्देशों और अन्य सार्वजनिक दस्तावेज़ों, या वहाँ रखे रजिस्टरों और अन्य अभिलेखों से उद्धरण जिसके अंतर्गत कंप्यूटर फ्लॉपी मे अभिलेख, डिस्केट्स या अन्य इलेक्ट्रोनिक प्ररूप भी हैं नियंत्रक द्वारा उसे किए गए अनुरोध पर और प्रथम अनुसूची मे उसके लिए विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रदाय किए जा सकेंगे।

(2) उप-नियम (1) मे किसी बात के होते हुए भी, प्रमाणित प्रतियाँ एक सप्ताह की अवधि के भीतर शीघ्रता से प्राप्त की जा सकेंगी यदि ऐसा अनुरोध प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ किया जाएगा।"

26. **मूल नियमों मे, नियम 135 मे,** उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

(1) इस अधिनियम और इन नियमों के प्रयोजनों के लिए किसी अभिकर्ता का प्राधिकरण आवेदन/दस्तावेज़ फाइल करते समय या ऐसे आवेदन/दस्तावेज़ फाइल करने की तारीख से तीन माह की अवधि के भीतर प्ररूप 26 मे फाइल किया जाएगा या मुख्तारनामा के प्ररूप मे होगा, अन्यथा ऐसे आवेदनों/दस्तावेज़ों की आगे की प्रक्रिया मे कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

27. **मूल नियमों मे, नियम 138 मे,** उप-नियम (1) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात:-

"(1) नियम 13 के उप-नियम (6), नियम 20 के उप-नियम (4) के खंड (i), 24ख, 24ग, नियम 55 के उप-नियम (4), नियम 130 के उप-नियम (1), नियम 130 के उप-नियम (2) और नियम 80 के उप-नियम (1क) में निर्धारित समय को छोड़कर, अन्य नियमों में किसी कार्य को करने या अधीन कोई कार्यवाही करने के लिए विहित समय, नियंत्रक द्वारा यदि वह ऐसा करना ठीक समझे और उन निबंधनों पर जो वह निर्दिष्ट करे एक माह तक बढ़ाया जा सकता है।"

28. मूल नियम मे, प्रथम अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएगी, अर्थात:-

"प्रथम अनुसूची
(नियम 7 देखिये)
सारणी 1- संदेय फीस

प्रविष्टि की संख्या	जिस पर संदेय है	सुसंगत प्ररूप की संख्या	ई-फाइलिंग के लिए			भौतिक रूप में फाइल करने के लिए		
			प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए		प्रकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए	या तो अकेले या प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) के साथ संयुक्त रूप में प्रकृत व्यक्ति(व्यक्तियों) से भिन्न व्यक्ति के लिए	
				लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए		लघु अस्तित्व के लिए	लघु अस्तित्व के अतिरिक्त अन्य के लिए
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए	रुपए
1.	अनंतिम/सम्पूर्ण विनिर्देश के साथ धारा 7, धारा 54 और धारा 135 और नियम 20(1) के अधीन किसी पेटेंट के लिए आवेदन पर -	1	1600 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1600 के गुणजों में	4000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4000 के गुणजों में	8000 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8000 के गुणजों में	1760 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 1760 के गुणजों में	4400 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 4400 के गुणजों में	8800 प्रत्येक गुणज पूर्वीकता की दशा में 8800 के गुणजों में
	(i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए (अनुक्रम सूची सहित);		(i) 160	(i) 400	(i) 800	(i) 176	(i) 440	(i) 880 (ii) 1760
	(ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए;		(ii) 320	(ii) 800	(ii) 1600	(ii) 352	(ii) 880	(iii) 880

	(iii) नियम (9) के उप-नियम (4) के अधीन न्यूक्लियोटाइड और, या अमीनो अम्ल के अनुसूची क्रम के प्रत्येक पृष्ठ के लिए		(iii) 160 अधिकतम 32,000 के साथ	(iii) 400 अधिकतम 80,000 के साथ	(iii) 800 अधिकतम 1,60,000 के साथ	(iii) 176 अधिकतम 35,200 के साथ	(iii) 440 अधिकतम 88,000 के साथ	अधिकतम 1,76,000 के साथ
2.	अनंतिम विनिर्देश के पश्चात् सम्पूर्ण विनिर्देश फाइल करने पर 30 पृष्ठ तक जिसमें 10 दावे तक हों - (i) 30 के अतिरिक्त प्रत्येक विनिर्देश पन्ने के लिए; (ii) 10 के अतिरिक्त प्रत्येक दावे के लिए ।	2	कोई फीस नहीं (i) 160 (ii) 320	कोई फीस नहीं (i) 400 (ii) 800	कोई फीस नहीं (i) 800 (ii) 1600	कोई फीस नहीं (i) 176 (ii) 352	कोई फीस नहीं (i) 440 (ii) 880	कोई फीस नहीं (i) 880 (ii) 1760
3.	धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध फाइल करने पर।	3	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
4. (i)	i) धारा 53(2) और धारा 142(4), नियम 13(6), नियम 80(1क) और नियम 130 के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर (प्रति मास)।	4	480	1200	2400	550	1300	2650
	नियम 24 ख के उप-नियम (5) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर	4	1000 (प्रति मास)	2000 (प्रति मास)	4000 (प्रति मास)	1100 (प्रति मास)	2200 (प्रति मास)	4400 (प्रति मास)
(ii)	नियम 24 ग के उप-नियम (10) के अधीन समय विस्तार के अनुरोध पर	4	5000 (प्रति मास)	10000 (प्रति मास)	20000 (प्रति मास)	5500 (प्रति मास)	11000 (प्रति मास)	22000 (प्रति मास)
5.	नियम 13 के उप-नियम (6) के अधीन आविष्कारवृत्ति की हैसियत में घोषणा फाइल करने पर।	5	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
6.	अगली तारीख के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	900	2200	4400
7.	धारा 19(2) के अधीन निर्देश को हटाने के लिए आवेदन पर।	-	800	2000	4000	900	2200	4400
8.	(i) धारा 20(1) के अधीन दावे पर; (ii) धारा 20(4) या धारा 20(5) के अधीन निदेश के लिए अनुरोध पर।	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	900 900	2200 2200	4400 4400

9.	धारा 25(2) के अधीन पेटेंट को मंजूर करने का विरोध की नोटिस पर।	7	2400	6000	12000	2650	6600	13200
9क.	(i) धारा 25(1) के अधीन पेटेंट अनुदान का विरोध करने के लिए आवदेन फाइल करने पर;	7क	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
10.	नियम 62 के उप-नियम (2) के अधीन यह सूचना देने पर कि नियंत्रक के समक्ष सुनवाई में उपस्थित रहा जाएगा।	--	1500	3750	7500	1650	4150	8250
11.	धारा 28(2), धारा 28(3) या धारा 28(7) के अधीन आवेदन पर।	8	800	2000	4000	900	2200	4400
12.	धारा 11क(2) और नियम, 24क के अधीन प्रकाशन हेतु अनुरोध।	9	2500	6250	12500	2750	6900	13750
13.	आवेदन के प्रकाशन के पूर्व धारा 11ख(4) और नियम 26 के उप-नियम (1) के अधीन आवेदन के प्रत्याहरण के लिए आवेदन।	29	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
14.	पेटेंट आवदेन के परीक्षण हेतु अनुरोध पर - (क) धारा 11ख और नियम 24 के उप-नियम (1) के अधीन; (ख) नियम 20 के उप-नियम (4) के खंड (ii) के अधीन।	18	4000 5600	10000 14000	20000 28000	4400 6150	11000 15400	22000 30800
14 क	नियम 24 ग के अधीन पेटेंट हेतु त्वरित परीक्षण के अनुरोध पर (20 दावों तक)	18 क	50000	125000	250000	55000	137500	2750000
14 ख	नियम 24 ख के अधीन परीक्षण के लिए फाइल अनुरोध को नियम 24 ग के अधीन शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे परिवर्तित करने पर (20 दावों तक)	18 क	46000	115000	230000	50600	126500	253000
15.	धारा 44 के अधीन पेटेंट के संशोधन के लिए आवेदन पर।	10	2400	6000	12000	2650	6600	13200

16.	धारा 51(1) या धारा 51(2) के अधीन निदेश के लिए आवदेन पर।	11	2400	6000	12000	2650	6600	13200
17.	धारा 26(1) या धारा 52(2) के अधीन पेटेंट मंजूर करने के लिए अनुरोध पर।	12	2400	6000	12000	2650	6600	13200
18.	धारा 55(1) के अधीन पेटेंट के परिवर्धन को एक स्वतंत्र पेटेंट में संपरिवर्तित करने के अनुरोध पर।	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
19.	धारा 53 के अधीन पेटेंट के नवीनीकरण हेतु							
(i)	पेटेंट की तारीख से दूसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व तीसरे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	तीसरे वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौथे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(iii)	चौथे वर्ष की समाप्ति से पूर्व पांचवे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(iv)	पांचवे वर्ष की समाप्ति से पूर्व छठे वर्ष की बाबत;	--	800	2000	4000	900	2200	4400
(v)	छठे वर्ष की समाप्ति से पूर्व सातवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vi)	सातवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व आठवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vii)	आठवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व नवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(viii)	नवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व दसवें वर्ष की बाबत;	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(ix)	दसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व ग्यारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(x)	ग्यारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बारहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xi)	बारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व तेरहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xii)	तेरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व चौदहवें वर्ष की बाबत;	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiii)	चौदहवें वर्ष की	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400

	समाप्ति से पूर्व पन्द्रहवें वर्ष की बाबत;							
(xiv)	पन्द्रहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सोलहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	सोलहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व सतरहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	सतरहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व अठारहवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	अठारहवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व उन्नीसवें वर्ष की बाबत;	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	उन्नीसवें वर्ष की समाप्ति से पूर्व बीसवें वर्ष की बाबत।	--	8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	धारा 57 के अधीन पेटेंट के लिए आवेदन/सम्पूर्ण विनिर्देश या अन्य संबद्ध दस्तावेजों के संशोधन के लिए आवेदन पर -	13						
(i)	पेटेंट मंजूर करने से पूर्व;		800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	पेटेंट मंजूर करने के पश्चात् ;		1600	4000	8000	1750	4400	8800
(iii)	जहाँ नाम/पता/ राष्ट्रीयता या सेवार्थ पते में संशोधन होना है।		320	800	1600	350	900	1750
21.	धारा 57(4), धारा 61(1) और धारा 87(2) के अधीन किसी आवेदन के विरोध की सूचना या धारा 63(3) के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण या धारा 78(5) के अधीन अनुरोध पर।	14	2400	6000	12000	2650	6600	13200
22.	धारा 60 के अधीन पेटेंट के प्रत्यावर्तन के लिए आवेदन पर।	15	2400	6000	12000	2650	6600	13200
23.	प्रत्यावर्तन के लिए अतिरिक्त फीस।	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
24.	धारा 63 के अधीन पेटेंट के अभ्यर्पण की प्रस्थापना की नोटिस पर।	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500
25.	धारा 69(1) या धारा	16	1600	4000 (प्रत्येक	8,000	1750 (प्रत्येक	4400 (प्रत्येक	8,800 (प्रत्येक

	69(2) और नियम 90 के उप-नियम (1) और (2) के अधीन किसी व्यक्ति के किसी पेटेंट या उसके अंश के हकदार या बन्धकदार के रूप में या किसी व्यक्ति के अनुज्ञप्तिधारी के रूप में या अन्यथा के रूप में पेटेंट रजिस्टर में नाम की प्रविष्टि के लिए या किसी दस्तावेज़ की अधिसूचना की पेटेंट रजिस्टर में प्रविष्टि के लिए आवेदन पर।		(प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	पेटेंट की बाबत)	(प्रत्येक पेटेंट की बाबत)	पेटेंट की बाबत)	पेटेंट की बाबत)	पेटेंट की बाबत)
26.	नियम 94 और नियम 118 के उप-नियम (1) के अधीन पेटेंट रजिस्टर या पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी प्रविष्टि के परिवर्तन के लिए आवदेन पर।	--	320	800	1600	350	900	1750
27.	नियम 94 के उप-नियम (3) के अधीन पेटेंट रजिस्टर में अतिरिक्त सेवार्थ पते की प्रविष्टि करने के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
28.	धारा 84 (1), धारा 91 (1), धारा 92(1) और धारा 92 क के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन पर।	17	2400	6000	12000	2650	6600	13200
29.	धारा 85 (1) के अधीन पेटेंट के प्रतिसंहरण के लिए आवेदन पर।	19	2400	6000	12000	2650	6600	13200
30.	धारा 88(4) के अधीन अनुज्ञप्ति के निबंधनों और शर्तों के पुनरीक्षण के लिए आवेदन पर।	20	2400	6000	12000	2650	6600	13200
31.	धारा 94 के अधीन अनिवार्य अनुज्ञप्ति की समाप्ति के लिए अनुरोध पर।	21	2400	6000	12000	2650	6600	13200
32.	नियम 109 के उप-नियम (1) या नियम 112 के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के रूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन पर।	22	3200	--	--	3500	--	--
33.	नियम 109 के उप-नियम (3) के अधीन	--	1600	--	--	1750	--	--

	अर्हक परीक्षा में सम्मिलित के लिए अनुरोध पर।							
34.	पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के बने रहने के लिए- (i) पहले वर्ष के लिए रजिस्ट्रीकरण के साथ संदत्त की जानी वाली; (ii) प्रत्येक वर्ष के लिए पहले वर्ष को छोड़कर प्रत्येक वर्ष की पहली अप्रैल को संदत्त की जाने वाली।	- -	800 800	-- --	-- --	900 900	-- --	-- --
35.	नियम 111क के अधीन पेटेंट अभिकर्ता के द्वितीय प्रमाण-पत्र के लिए।	--	1600	--	--	1750	--	--
36.	नियम 117 के उप-नियम (1) के अधीन पेटेंट अभिकर्ता रजिस्टर में किसी व्यक्ति के नाम के प्रत्यावर्तन के लिए आवदेन पर।	23	1600 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--	1750 (योग प्रविष्टि संख्यांक 34 के अधीन निरंतरता फीस)	--	--
37.	धारा 78(2) के अधीन लिपिकीय त्रुटियों की शुद्धि के लिए अनुरोध पर।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
38.	धारा 77(1)(च) या धारा 77(1) (छ) के अधीन नियंत्रक के निर्णय या आदेश के पुनर्विलोकन या उसे अपास्त करने के लिए आवदेन पर।	24	1600	4000	8000	1750	4400	8800
39.	धारा 39 और नियम 71 के उप-नियम (1) के अधीन भारत से बाहर पेटेंट के आवदेन के लिए अनुज्ञा हेतु आवदेन पर।	25	1600	4000	8000	1750	4400	8800
40.	धारा 154 और नियम 132 के अधीन पेटेंट की द्वितीय प्रति के लिए आवदेन पर।	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
41.	(i) धारा 72 के अधीन प्रमाणित प्रतियों के लिए या धारा 147 और नियम 133 के उप-नियम (1) के अधीन प्रमाण-पत्र के लिए अनुरोघ पर।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
	(ii) धारा 72 के	--	3000	6000	2000	3300	6600	13200

	अधीन प्रमाणित प्रतियों के अनुरोध पर या धारा 147 और नियम 133 के उप-नियम (2) के अधीन प्रमाण पत्र के लिए		(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	(30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)
42.	प्रत्येक मुद्रित, कार्यालय प्रतियों के प्रमाणन के लिए।	--	800	2000	4000	900	2200	4400
43.	धारा 72 के अधीन रजिस्टर के निरीक्षण, नियम 27 या नियम 74 (क) के अधीन निरीक्षण के लिए अनुरोध पर।	--	320	800	1600	350	900	1750
44.	धारा 153 और नियम 134 के अधीन सूचना हेतु अनुरोध पर।	--	480	1200	2400	550	1300	2650
45.	पेटेंट अभिकर्ता के प्राधिकार के प्ररूप पर।	26	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
46.	ऐसी याचिका पर जो अन्यथा उपलब्ध नहीं है।	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
47.	दस्तावेजों की फोटो प्रतियों के प्रदाय के लिए प्रति पृष्ठ।	--	8	8	8	10	10	10
48.	अंतर्राष्ट्रीय आवदेन के लिए पारेषण फीस।	--	3200	8000	16000	3500	8800	17600
49.	पूर्वीकता दस्तावेज़ की प्रामाणिक प्रति तैयार करने और उसे विश्व बौद्धिक सम्पदा संगठन के अंतर्राष्ट्रीय ब्यूरो को पारेषित करने के लिए।	--	1000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5000 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)	1100 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 30)	2750 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 75)	5500 (30 पृष्ठ तक और उसके पश्चात् प्रत्येक अतिरिक्त पृष्ठ के लिए 150)
50.	धारा 146(2) और नियम 131 के उप-नियम (1) के अधीन भारत में पेटेंट प्राप्त आविष्कार के वाणिज्यिक स्तर पर कार्यकरण के संबंध में कथन पर।	27	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
51.	लघु अस्तित्व मे प्रास्थिति होने का दावा करने के लिए प्रस्तुत	28	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं	कोई फीस नहीं
52	नियम 129 क के अधीन सुनवाई के स्थगन के लिए अनुरोध (प्रत्येक स्थगन के लिए)		1000	2500	5000	1100	2750	5500
53.	नियम 8 के उप-नियम (2) के अधीन	30	जैसे लागू हो					

	विविध प्ररूप		

सारणी II- वापस देय फीस

प्रविष्टि की संख्या	**फीस प्रतिदेय का कारण**	**प्ररूप संख्या**	**फीस प्रतिदाय**
54	नियम 24 ख के उप-नियम (1क) के अधीन वापस देय फीस की वापसी के अनुरोध पर	**प्ररूप** 29 क	परीक्षण के अनुरोध के लिए संदत्त फीस का 90%

टिप्पण :

1) सभी प्ररूप, आवदेन, अनुरोध, नोटिसें, अभ्यावेदन को अनुलिपि रूप में फाइल किया जाना चाहिए, जब तक कि नियमों में अन्यथा विनिर्दिष्ट न हो।"

2) प्रत्येक पृथक गतिविधि के लिए ऊपर दी गयी फीस समीपवर्ती रु.100/- के गुणजों में पूर्णांकित की जाएगी।

29. मूल नियमों मे, दूसरी अनुसूची में, 'प्ररूप' शीर्ष के अंतर्गत, "प्ररूपों की सूची" में-

(i) "प्ररूप संख्या 4", में, स्तंभ संख्या 2 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात:-

"धारा 53(2), और 142(4); नियम 80 का उप-नियम (1क)।"

(ii) "प्ररूप संख्या 13", मे स्तंभ संख्या 3 के अंतर्गत प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टि को रखा जाएगा, अर्थात:-

" पेटेंट आवेदन या सम्पूर्ण विनिर्देश या उससे संबन्धित अन्य कोई दस्तावेज़ मे संशोधन के लिए आवेदन।";

(iii) "प्ररूप संख्या 18" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
"18क	धारा 11 ख और नियम 24ग	पेटेंट आवेदन के त्वरित परीक्षा के लिए अनुरोध"

(iv) "प्ररूप संख्या 28" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3
"29	नियम 7 के उप-नियम (4) का खंड (ii) , नियम 26	परीक्षण के अनुरोध के प्रत्याहत और पेटेंट आवेदन के प्रत्याहत के लिए अनुरोध"

(v) "प्ररूप संख्या 29" के पश्चात, निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

1	2	3

"30	नियम 8 का उप-नियम (2)	जब अन्य कोई प्ररूप विहित न हो तब उपयोग किया जाये।"

30. **मूल नियमों में, दूसरी अनुसूची में**

(i) "प्ररूप संख्या 1" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 1 पेटेंट अधिनियम 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **पेटेंट के अनुदत्त के लिए आवेदन** (धारा 7, 54 और नियम 135 तथा नियम 20 का उप-नियम (1) देखिए)	**(**केवल कार्यालय उपयोग के लिए**)**	
	आवेदन संख्या.	
	फाइल किए जाने की तारीख:	
	संदत्त फीस की रकम:	
	सीबीआर संख्या:	
	हस्ताक्षर:	
1. **आवेदक का संदर्भ/पहचान क्रमांक (जो कार्यालय द्वारा आवंटित)**		

2. **आवेदन का प्रकार [उचित श्रेणी मे (✓) का निशान लगाएं]**					
सामान्य()		कन्वेन्शन ()		पेटेंट सहकारिता संधि – राष्ट्रीय चरण ()	
प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()	प्रभागीय ()	अतिरिक्त पेटेंट ()

3 . आवेदक (आवेदकों का)				
पूरा नाम	राष्ट्रीयता	निवास का देश	आवेदक का पता	
			मकान नं.	
			गली	
			शहर	
			राज्य	
			देश	
			पिन कोड	

4. आवेदक का प्रवर्ग [कृपया उचित श्रेणी में (✓) टिक लगाएँ]			
प्रकृत व्यक्ति ()	प्रकृत व्यक्ति से भिन्न		
	लघु अस्तित्व ()		अन्य ()

5. आविष्कारक(आविष्कारकों) की श्रेणी [कृपया समुचित श्रेणी में (✓) का निशान लगाएँ]		
क्या सभी आविष्कारक (आविष्कारकों) का नाम ऊपर नामित आवेदक (आवेदकों) के समान है?	हाँ ()	नहीं()

यदि नहीं " तो आविष्कारक (आविष्कारकों) का ब्यौरा प्रस्तुत करें				
पूरा नाम	राष्ट्रीयता	निवास का देश	आविष्कारक का पता	
			मकान नं.	
			गली	
			शहर	
			राज्य	

			देश	
			पिन कोड	

6. आविष्कार का नाम		
7. यदि आविष्कार मे जैविक सामाग्री का उपयोग किया गया है [कृपया समुचित श्रेणी में (✓) का निशान लगाएँ]		
हाँ()	नहीं()	
यदि "हाँ", आविष्कार में प्रयुक्त जैविक सामग्री के स्रोत का देश और भौगोलिक मूल सूचित करें।		
जैविक सामग्री का स्रोत	जैविक सामग्री का भौगोलिक मूल	
8. प्राधिकृत पेटेंट अभिकर्ता(ओं)	आईएनपीए संख्या	
	नाम	
9. **भारत में आवेदक का पत्राचार के लिए पता।**	नाम	
	डाक पता	
	दूरभाष नं.	
	मोबाइल नं.	
	फैक्स नं.	
	ईमेल	

10. कन्वेन्शन देश मे आवेदन की पूर्विक्ता का दावा करने के आवेदन में, कन्वेन्शन आवेदन की विशिष्टियां

देश	आवेदन संख्या	फाइल किए जाने की तारीख	आवेदक का नाम	आविष्कार का नाम	आईपीसी (जैसा कन्वेन्शन देश मे वर्गीकृत है)

11. पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) राष्ट्रीय चरण आवेदन, पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं.) के अधीन फाइल किए गए अंतर्राष्ट्रीय आवेदन का विवरण

अंतर्राष्ट्रीय आवेदन सं.	अंतर्राष्ट्रीय फाइल किए जाने की तारीख

12. **धारा 16 के अधीन प्रभागीय आवेदन फाइल किए जाने के लिए, मूल (प्रथम) आवेदन की विशिष्टियां**

मूल (प्रथम) आवेदन सं.	मूल (प्रथम) आवेदन के फाइल करने की तारीख

13. **अतिरिक्त पेटेंट फाइल किए जाने के लिए, धारा 54 के अधीन फाइल आवेदन, मुख्य आवेदन या पेटेंट की विशिष्टियां**

मुख्य आवेदन/ पेटेंट सं.	मुख्य आवेदन फाइल किए जाने की तारीख

14. **घोषणाएं**

(i) **आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा**

(आवेदक समनुदेशिती होने पर): आविष्कारक (कों) के साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकते हैं या आवेदक समनुदेशन अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है, या समनुदेशन को निर्धारित अवधि मे डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।

मैं/हम उपरोक्त नामित आविष्कारक(कों) इस आविष्कार के लिए सही और प्रथम आविष्कारक(कों) हूँ/हैं और घोषणा करता हूँ/करते हैं कि आवेदक (कों) मेरा/हमारा समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हा/हैं।

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(ii) **कन्वेन्शन देश में आवेदक (कों) द्वारा घोषणा**

(कन्वेन्शन देश का आवेदक भारत के आवेदक से भिन्न होने पर: कन्वेन्शन देश का आवेदक साथ साथ नीचे हस्ताक्षर कर सकता है या भारत मे आवेदक कन्वेन्शन देश के आवेदक के समनुदेशन को अपलोड कर सकता है या इस पेटेंट आवेदन के साथ समनुदेशन संलग्न कर सकता है या समनुदेशन को निर्धारित अवधि मे डाक/सम्यक रूप से अधिप्रमाणित पारेषण द्वारा प्रेषित कर सकता है।

मैं/हम, कन्वेन्शन देश मे आवेदक (कों) के रूप मे घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि इसके आवेदक मेरे/हमारे सुमनुदेशिती है।

(क) तारीख

(ख) हस्ताक्षर

(ग) नाम

(iii) **आविष्कारक (कों) द्वारा घोषणा**

मैं/हम आवेदक (कों) घोषणा करता हूँ/करते हैं कि: -

- € ऊपर वर्णित आविष्कार मेरे/हमारे कब्जे मे हैं।
- € आविष्कार से संबन्धित अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश इस आवेदन के साथ फाइल किया गया है।
- € विनिर्देश मे प्रकट किए गए आविष्कार में भारत से जैविक सामाग्री का उपयोग किया जाता है और मैं/हम, मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी से आवश्यक अनुज्ञा प्रस्तुत करूंगा/करेंगे।
- € मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किए जाने के लिए आक्षेप का कोई विधिपूर्ण आधार नहीं है।
- € मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक हूँ/हैं।
- € मैं/हम सही और प्रथम आविष्कारक (कों) के समनुदेशिती या विधिक प्रतिनिधि हूँ/हैं।
- € मेरे/हमारे आविष्कार की बाबत आवेदन या आवेदनों मे से प्रत्येक जिनका विशिष्टियां पैरा 9 में दिया गया है, कन्वेंशन देश/देशों में पहला आवेदन था।
- € मैं/हम कन्वेंशन देश/देशों में फाइल किए गए ऊपर उल्लिखित आवेदन (नों) से पूर्विक्ता का दावा करता हूँ/करते हैं और कथन करता हूँ/ करते हैं कि आविष्कार की बाबत संरक्षण के लिए कोई आवेदन कन्वेंशन देश में उस तारीख से पहले मेरे/हमारे द्वारा या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा जिससे मैं/हम हक व्युत्पन्न करता हूँ/करते हैं, नहीं किया गया है।
- € मेरा/हमारा भारत मे आवेदन पैरा 10 में यथा उल्लिखित पेटेंट सहकारिता संधि (पे.स.सं।) के अधीन अंतर्राष्ट्रीय आवेदन पर आधारित है।
- € आवेदन मेरे/हमारे आवेदन में से विभाजित किया गया है, जिसमे पृथक आविष्कार बहुलता मे शामिल हैं, जिनका विवरण पैरा 11 में दिया गया है और प्रार्थना है कि आवेदन को अधिनियम की धारा 16 के अधीन तारीख को फाइल किया गया समझा जाए।
- € उक्त आविष्कार, उस आविष्कार का सुधार या उपांतरण है जिसका विवरण पैरा 12 में दिया गया है।

15. **आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्नक हैं**

(**क**) **प्ररूप** 2

मद	पृष्ठों कि संख्या	फीस	टिप्पणियां
विवरण आवरण पृष्ठ सहित (पूर्ण/अनंतिम)#			
दावा(दावे)			
सार			
आरेखण (ओं)			

पूर्ण विनिर्देश मे, यदि आवेदक अनंतिम विनिर्देश के साथ फाइल आरेखनों को नियम 13(4) के अधीन पूर्ण विनिर्देश के आरेखन या आरेखनों के भाग के रूप में अपनाना चाहता है, अनंतिम विनिर्देश के ऐसे पृष्ठों के क्रमांक का उल्लेख करना अपेक्षित है।

(ख) पूर्ण विनिर्देश (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप) / अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ग) इलेक्ट्रोनिक प्रारूप रूप मे अनुक्रम सूची

(घ) आरेखण (अंतर्राष्ट्रीय आवेदन के अनुरूप)/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकरण (अ.प्रा.प.प्रा.) के पूर्व यथा संशोधित, यथा लागू (दो प्रतियां)

(ड़) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज़ या (डीएएस) अंकीय पहुँच सेवा से पूर्वीकता दस्तावेज़ (जों) को प्राप्त करने का अनुरोध यदि आवेदक ने पहले फाइल करते समय पूर्वीकता दस्तावेज़ डीएएस को उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था।

(च) पूर्वीकता प्राप्ति दस्तावेज/विनिर्देश/अंतर्राष्ट्रीय तलाश रिपोर्ट/ पेटेंट योग्यता पर अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक रिपोर्ट का अनुवाद।

(छ) प्ररूप 3 में कथन और वचनबंध

(ज) प्ररूप 5 में आविष्कारीता की घोषणा

(झ) प्राधिकारी की शक्ति

.....

कुल फीस रुपए नकद/बेंकर चैक/ बैंक ड्राफ्ट सं॰ द्वारा तारीख बैंक

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि इसमें कथित तथ्य और सामग्री मेरे/हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं और मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि उक्त आविष्कार के लिए मुझे/हमें पेटेंट अनुदत्त किया जाये।

.....आज तारीख 20.....

हस्ताक्षर:

नाम:

सेवा में,
पेटेंट नियंत्रक
पेटेंट कार्यालय
पता.....

टिप्पण: -

*एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं।

*आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत अभिकर्ता द्वार अन्यथा जहां उल्लिखित हो, हस्ताक्षर किया जाये।

*पैरा 13 की घोषणा में जो लागू हो/नहीं लागू हो उस पर सही (✓)/क्रास (x) का निशान लगाएं।

*उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।

*फीस के लिए पहली अनुसूची देखिए।";

(ii) "प्ररूप संख्या 2" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 2

पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39)और

पेटेंट नियम, 2003

अनंतिम/पूर्ण विनिर्देश

(धारा 10 और नियम 13 देखिए)

1. आविष्कार का नाम

2. आवेदक (कों) का

(क) नाम:

(ख) राष्ट्रियता :

(ग) पता:

3. **वर्णन कि उद्देशिका**	
अनंतिम निम्नलिखित विनिर्देश आविष्कार को वर्णित करता है।	**पूर्ण** निम्नलिखित विनिर्देश विशिष्टि रूप से आविष्कार को और उस रीति को वर्णित करता है जिसमे इसका कार्यपालन होना है।
4. वर्णन (अगले पृष्ठ से आरंभ होगा) विवरण के भाग का शीर्षक अधिमानतः इस प्रकार होगा: (i) आविष्कार का क्षेत्र (ii) पृष्ठभूमि पूर्व कला (iii) आविष्कार की वस्तु (वस्तुएँ) (iv) आविष्कार का सारांश (v) संलग्न आरेखणों का संक्षिप्त विवरण (vi) आविष्कार करने की उत्तम विधि(यों) सहित आविष्कार का विस्तृत वर्णन (vii) औद्योगिक प्रयोज्यता (viii) प्रशंसा पत्र की सूची (पृथक पृष्ठ पर)	
5. दावे (अनंतिम विनिर्देश के लिए लागू नहीं)। दावे उद्देशिका से आरंभ करें – (पृथक पृष्ठ पर) **"मैं/हम यह दावा करता हूँ/करते हैं कि" -**	
6. तारीख और हस्ताक्षर (विनिर्देश के अंतिम पृष्ठ के अंत मे किए जाएं)	
7. आविष्कार का सारांश (पृथक पृष्ठ पर पूर्ण विनिर्देश के साथ दिया जाए)	
टिप्पण: • एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं। • आवेदक (कों) या प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षर किया जाए। • आवेदक का पूरा नाम दें और आरंभ में कुटुंब का पूरा नाम दें। • आवेदक का पूर्ण पता दिया जाना चाहिए जिसमें डाक सूचना सं॰/कोड, राज्य और देश का कथन करना चाहिए। • उस/उन भाग/भागों को काट दें जो लागू नहीं होता है/होते हैं।	

(iii) "**प्ररूप संख्या 3" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात**:-

प्ररूप 3 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **धारा 8 के अधीन कथन और वचनबंध** (धारा 8, नियम 12 देखिए)	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं:
2. संयुक्त आवेदक का नाम, पता और राष्ट्रीयता	(i) यह कि मैंने/ हमने उसी आविष्कार/मूलतः उसी आविष्कार के लिए भारत से बाहर आवेदन नहीं किया है या (ii) यह कि मैं/हम जिसने/जिन्होंने/ स्वयं एकमात्र रूप से/..... के साथ संयुक्त रूप से यह आवेदन तारीख किया हैं जो उसी तात्विक रूप से उसी आविष्कार पर पेटेंट

<table>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">के लिए आवेदन दूसरे देशों, में जिनके विवरण निम्नलिखित हैं, किया गया है :</td></tr>
<tr><td>देश का नाम</td><td>आवेदन की तारीख</td><td>आवेदन सं॰</td><td>आवेदन कि प्रास्थिति</td><td>प्रकाशन की तारीख</td><td>अनुदान करने की तारीख</td></tr>
<tr><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="3">3. समनुदेशिती का नाम और पता</td><td colspan="3">(iii) यह कि आवेदन (आवेदनों) पर.....को अधिकार संनुदेशिक किया गया है/ हैं कि नियंत्रक द्वारा पेटेंट अनुदान करने की तारीख तक, मैं/हम नियंत्रक को लिखित रूप में भारत के बाहर पेटेंट के लिए फाइल किए गए संगत आवेदनों के विवरणों की सूचना उनके फाइल किए जाने की तारीख से छह मास के भीतर देता रहूँगा/ देते रहेंगे।

.....आज तारीख 20.....</td></tr>
<tr><td colspan="3">4. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए</td><td colspan="3">हस्ताक्षर</td></tr>
<tr><td colspan="3">5. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं।</td><td colspan="3">(.....).</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3">सेवा में,
पेटेंट नियंत्रक,
पेटेंट कार्यालय,
पता.....</td></tr>
<tr><td colspan="6">टिप्पण- जो लागू न हो उसे काट दें।";</td></tr>
</table>

(iv) "प्ररूप संख्या 4" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

<table>
<tr><td colspan="2">प्ररूप 4
पेटेंट अधिनियम, 1970
(1970 का 39) और
पेटेंट नियम, 2003
समय विस्तार के लिए अनुरोध
[धारा 53(2) और 142(4); नियम 24ख(5), 24ग(10) और 80(1क)]</td></tr>
<tr><td>1. आवेदक का नाम</td><td>मैं/हम मेरे/हमारे आवेदन/ पेटेंट सं॰ के संबंध में धारा / नियम के अधीन माह के समय-विस्तारण के लिए घोषणा करता हूँ/ करते हैं।
अनुरोध करने के निम्नलिखित कारण हैं:-
.....
.....आज तारीख 20.....</td></tr>
<tr><td>2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए</td><td>हस्ताक्षर
(.....)</td></tr>
<tr><td>3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं</td><td></td></tr>
</table>

	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए।";	

(v) "प्ररूप संख्या 13" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 13 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **पेटेंट आवेदन/पूर्ण विनिर्देश/ अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़ के लिए आवेदन के संशोधन के लिए आवेदन** [धारा 57; नियम 81 का उप-नियम (1) देखिए]	
1. आवेदक (कों) का नाम	मैं/हम..... पेटेंट के लिए आवेदन सं॰ तारीख की बाबत आवेदन, अन्य किसी संबन्धित दस्तावेज़/पूर्ण विनिर्देश का संशोधन करने की इजाजत के लिए, जैसा कि इससे संलग्न प्रति में उल्लिखित है, अनुरोध करता हूँ/ करते हैं। यह अनुरोध करने के लिए मेरे/हमारे कारण निम्नानुसार हैं:- मैं/हम घोषणा करता हूँ/ करते हैं कि प्रश्नगत पेटेंट के अतिलंघन के लिए या प्रतिसंहरण के लिए कोई कार्यवाही किसी अपील बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है। मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे /हमारे सर्वोत्तम ज्ञान, जानकारी तथा विश्वास के अनुसार इसमें कथित तथ्य और विषय सही है।
2. आवेदक या पेटेंटी या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	आज तारीख 20..... हस्ताक्षर
3. उस प्रकृत व्यक्ति का नाम जिसने हस्ताक्षर किए हैं	(.....)
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....
टिप्पण : फीस के लिए प्रथम अनुसूची देखिए।";	

(vi) "प्ररूप संख्या 18" के पश्चात, निम्नलिखित प्ररूप अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-

प्ररूप 18 क **पेटेंट अधिनियम, 1970** **और पेटेंट नियम, 2003** **पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध** **[धारा 11 ख और नियम 24ग देखिए]**	(केवल कार्यालय उपयोग के लिए) अनुरोध सं॰.: फाइल करने की तारीख: संदाय की गई फीस की रकम: सीबीआर सं॰:

1. आवेदक (कों) का (क) नाम:	हस्ताक्षर:
(ख) राष्ट्रीयता: (ग) पता:	
2. मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूं/करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए किए गए पेटेंट आवेदन सं. ----------जिसको ---------- आविष्कार का नाम ---------- के लिए फाइल किया गया था का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन किया जाए। या मैं/हम अनुरोध करते हैं कि मेरे/हमारे पेटेंट के लिए प्रभागीय आवेदन सं. ---------- जिसको --------आविष्कार का नाम ----------के लिए ---------को------- फाइल किया गया था में से विभाजित आवेदन सं.---------- दिनांक ---------- का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और 13 के अधीन किया जाए। या मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि ---------आविष्कार का नाम---------- पेटेंट के लिए पेटेंट आवेदन सं. जिसको ---------- को------ फाइल किया गया के परीक्षण के अनुरोध सं॰ को नियम 24 ग के अधीन पेटेंट आवेदन के शीघ्र परीक्षण के अनुरोध मे रूपांतरित किया जाए और आवेदन का परीक्षण अधिनियम की धारा 12 और धारा 13 के अधीन किया जाए। 3. आवेदक लागू कारणों पर (उचित बॉक्स मे निशान लगा कर) दर्शाएं यदि शीघ्र परीक्षण के लिए अनुरोध निम्नलिखित कारणों में से किसी कारण के लिए किया गया है: ☐ क) कि आवेदक ने उसके अनुरूप अंतर्राष्ट्रीय आवेदन को यथास्थिति नियम 19 (क) और 19 (च), के अधीन भारतीय पेटेंट कार्यालय को अंतर्राष्ट्रीय खोज प्राधिकारी/ अंतर्राष्ट्रीय प्रारंभिक परीक्षण प्राधिकारी के रूप मे नामित किया है, या ☐ ख) कि आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) ने भारत मे आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ कर दिया है, या ☐ ग) कि आवेदक या उसका समनुदेशिती या भावी निर्माता (अनुज्ञप्तिधारी) यह वचनबंध देते हैं कि यदि वह अनुदत्त होता है, तो पेटेंट अनुदान की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर आविष्कार का निर्माण प्रारम्भ किया जाएगा।	
भारत मे सेवार्थ पता:	
.....आज तारीख 20..... हस्ताक्षर हस्ताक्षरकर्ता का नाम सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता..... **टिप्पण:** आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए जो लागू न हो उसे स्तंभ काट दें।";	

(vii) "**प्ररूप संख्या 27" के स्थान पर निम्नलिखित प्ररूप रखा जाएगा, अर्थात**:-

प्ररूप 27

पेटेंट अधिनियम, 1970

(1970 का 39)

और

पेटेंट नियम, 2003

पेटेंट किए गए आविष्कार के भारत मे वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध में कथन

[धारा 146 (2) और नियम 131 का उप-नियम (1)देखिए]

1. पेटेंटी (यों) या अनुज्ञप्तिधारी (यों) का नाम, पता और राष्ट्रीयता लिखें	तारीख के पेटेंट सं. के मामले में मैं/हम ऊपर निर्दिष्ट पेटेंट किए गए आविष्कार के वाणिज्यिक पैमाने पर कार्यकरण के संबंध में निम्नलिखित वर्णन प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं:		
2. वह वर्ष जिससे यह विवरण संबन्धित है।	वर्ष के लिए		
3. कार्यकरण का ब्यौरा	**पेटेंटी द्वारा**:		
	मद	उत्पाद की मात्रा	मूल्य (रुपये में)
	क) भारत में विनिर्मित		
	ख) अन्य देशों से आयातित (देशवार ब्यौरा दें)		
	ग) अनुज्ञप्ति अनुदत्त		
	अनुज्ञप्तिधारी द्वारा:	अनन्य €	गैर-अनन्य €
	मद	उत्पाद की मात्रा	मूल्य (रुपये में)
	क) भारत में विनिर्मित		
	ख) अन्य देशों से आयातित (देशवार ब्यौरा दें)		
	ग) उप-अनुज्ञप्ति अनुदत्त		
4. पेटेंट के उपयोग के द्वारा वाणिज्यित उत्पादों का विवरण			
5. यदि कार्यकरण नहीं, कृपया कार्यकरण नहीं होने और कार्यकरण के लिए उठाए गए कदम बताएं	पेटेंटी (ओं)/ अनुज्ञप्तिधारी(ओं):		
6. कथन करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए।	[6]पेटेंटी/ अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर.....		
7. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सरकारी मुहर, यदि कोई हो सहित	(.....)		
	सेवा में, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....		

टिप्पण:

जो लागू न हो उसे काट दें।

एक से अधिक प्रविष्टि की दशा में बाक्सों को दोहराएं।";

(viii) **"प्ररूप संख्या 28" के पश्चात निम्नलिखित प्ररूप अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात:-**

प्ररूप 29 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **परीक्षण के अनुरोध के आहरण के लिए अनुरोध और पेटेंट के लिए आवेदन के आहरण के लिए अनुरोध** [धारा 11ख(4) और नियम 7 के उप-नियम (4) का खंड (ii)], नियम 26 देखिए]	
1. आवेदक का नाम	मैं/हम[1] ---------- अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा पेटेंट के लिए आवेदन सं. ---------- तारीख ---------- के संदर्भ में फाइल किए गए परीक्षण के लिए अनुरोध सं. ---------- तारीख ---------- को नियम 7 के उप-नियम (4) के खंड (ii) के अधीन वापस लिया गया समझा जाएगा। या मैं/हम ---------- अनुरोध करता हूँ/ करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा फाइल किए गए पेटेंट के लिए आवेदन सं. ---------- तारीख ---------- को धारा 11ख(4) और नियम 26 के अधीन वापस लिया गया समझा जाएगा।
2. आवेदक या उसके प्राधिकृत रजिस्ट्रीकृत पेटेंट अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	आज तारीख 20.....
3. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम	हस्ताक्षर (_____)
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....

प्ररूप 30 पेटेंट अधिनियम, 1970 (1970 का 39) और पेटेंट नियम, 2003 **जब कोई अन्य प्ररूप निर्धारित नहीं है तब उपयोग किया जाए** [नियम 8 का उप-नियम (2) देखिए]				
1. आवेदक/पेटेंटी/अन्य का नाम	मैं/हम			
2. ईमेल, दूरभाष, मोबाइल नं. और फैक्स नं. के साथ डाक सूचक सं./ कोड और	मकान सं. गली	--	दूरभाष नं. मोबाइल नं.	--

राज्य सहित पूरा पता		--		----
	शहर राज्य देश	-- -- --	फैक्स नं.	--
	पिन कोड	--	ईमेल	--
3. आवेदन सं./पेटेंट सं.				
4. प्रासंगिक धारा/नियम				
5. अनुरोध का अनुरोध				
6. अनुरोध का ब्यौरा				
7. आवेदक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए	हस्ताक्षर.....			
8. हस्ताक्षर करने वाले प्रकृत व्यक्ति का नाम, पदनाम और सरकारी मुहर, यदि कोई हो सहित	(.....)			
	सेवा मे, पेटेंट नियंत्रक, पेटेंट कार्यालय, पता.....			

[फा.सं. 14/3/2014. बौद्धिक सम्पदा अधिकार-III]

राजीव अग्रवाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण:- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II , खण्ड 3, उपखण्ड (ii) में अधिसूचना संख्या का. आ. 493 (अ) तारीख 2 मई, 2003 द्वारा प्रकाशित किए गए और निम्नलिखित अधिसूचना संख्यांक द्वारा पश्चातवर्ती संशोधन किया गया -

(i) का. आ. 1418 (अ) तारीख 28 दिसम्बर, 2004;

(ii) का. आ. 657 (अ) तारीख 5 मई, 2006;

(iii) का. आ. 2296 (अ) तारीख 25 सितम्बर, 2012;

(iv) का. आ. 1029 (अ) तारीख 23 अप्रैल, 2013 और

(v) सा.का.नि. 125 (अ) तारीख 28 फरवरी, 2014

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Industrial Policy and Promotion)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th October, 2015

G.S.R. 806(E).—The following draft rules to further amend the Patents Rules 2003 which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 159 of the Patents Act, 1970 , is hereby published as required by sub section (3) of the said section for the information of all persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India, in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, If any, may be addressed to the Secretary, Ministry of Commerce and Industry, Government of India, Udyog Bhawan, New Delhi- 110011 or by e-mail at rajiv.aggarwal@nic.in.

The objections and suggestions, which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified, shall be considered by the Central Government.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called "The Patents (Amendment), Rules, 2015".

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. **In rule 2 of the Patents Rules, 2003 (hereinafter referred to as the principal rules)**after clause (c), the following clause shall be inserted, namely:-

(ca) "electronic transmission duly authenticated" means authentication by digital signature as per section 5 of the Information Technology Act, 2000 (21 0f 2000);

3. In the principal rules, for rule 5, the following shall be substituted, namely:-

"5. "Every person, concerned in any proceedings to which the Act or these rules relate and every patentee, shall furnish to the Controller a postal address for service in India and an e-mail address and also a mobile number provided by a service provider in India and the address shall be treated for all purposes connected with such proceedings or patent as the address of the person concerned in the proceedings or of the patentee. Unless such an address is given, the Controller shall be under no obligation either to proceed or deal with any proceeding, or patent or to send any notice that may be required to be given under the Act or these rules and the Controller may take *suo motu* decision in the matter.".

4. **In the principal rules, in rule 6,-**

i) in sub-rule (1), the words "or courier service" wherever they occur shall be omitted.

ii) after sub-rule (1), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(1A) Notwithstanding anything contained in sub rule (1), a patent agent registered with the patent office shall send all documents only by electronic transmission duly authenticated. 'Provided that scanned copy of any original document to be submitted shall also be transmitted electronically'";

iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:

"(2) Any written communication addressed to a patentee at his postal address or e-mail, as it appears on the register of patents or at his address for service given under rule 5, or to any applicant or opponent in any proceedings under the Act or these rules, at the postal address or e-mail, appearing on the application or notice of opposition, or given for service, shall be deemed to be properly addressed.";

(iv) in sub-rule (3), the words "or courier service" shall be omitted;

(v) in sub-rule (4), the words "or courier" shall be omitted;

(vi) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:-

"(6) Without prejudice to sub-rule (5), the Controller may condone the delay in transmitting or resubmitting a document to the patent office in case of war or natural calamity declared as national emergency by the Government of the country where the applicant resides or submits to the Controller: provided that the applicant shall provide evidence by way of a certificate/notification from the competent authority of the Government of the country to the effect that the situation had occurred which was of such severity that it disrupted the normal communication in that area and relevant action was taken by the applicant as soon as reasonably possible within one month from the date when such natural calamity or war had ceased to exist:

Provided further that the delay condoned by the Controller shall not exceed the period for which the national emergency was in force".

5. **In the principal rules, in rule 7,-**

i) in sub-rule (2), for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:-

"(a) The fees, payable under the Act or the rule may be paid at the appropriate office either in cash or through electronic means or may be sent by bank draft or banker's cheque payable to the Controller of Patents and drawn on a scheduled bank at the place where the appropriate office is situated and if the draft or banker's cheque is sent by post, the fees shall be deemed to have been paid on the date on which the draft or banker's cheque has actually reached the Controller".

(ii) in sub-rule (2), clause (b) shall be omitted.

(iii) for sub-rule (4), the following sub-rules shall be substituted, namely:-

" 4 Fees once paid in respect of any proceeding shall not ordinarily be refunded irrespective of whether the proceeding has taken place or not:

Provided that, if the Controller is satisfied that during the online filing process, the fee has been paid more than once for the same proceeding, the additional fee shall be refunded:

Provided further that , if any amount in excess of requisite fee is paid for any proceeding, then, the same shall not be refunded.

(4A) Notwithstanding anything contained in sub-clause (4), the fee paid for request for examination may be refunded to the extent prescribed in the First Schedule , on an application made under sub rule (1A) of rule 24B and consequently, such request for examination shall be deemed to have not been filed".

6. **In the principal rules, in rule 8,** for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(2) Where no Form is so specified for any purpose, the applicant may use Form 30 specified in the Second Schedule."

7. **In the principal rules, in rule 13,-**

(i) for sub-rule 4, the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(4) Where the invention requires explanation through drawings, such drawings shall be prepared in accordance with the provisions of rule 15 and shall be supplied with, and referred to in detail, in the description and claims and the features illustrated by a drawing shall be followed by the reference sign in parentheses used in that drawing:

Provided that in case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification, it shall be sufficient to refer to them in the description and claims as those left or filed with the provisional specification.";

(ii) in sub-rule (7), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:-

"(b) The abstract shall contain a concise summary of the matter contained in the specification and the summary shall indicate clearly the technical field to which the invention belongs, technical advancement of the invention as compared to the existing knowledge and principal use of the invention excluding speculative use(s) and where necessary, the abstract shall contain the chemical formula, which characterises the invention.";

(iii) for sub-rule (8), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(8) The period within which reference to the deposit shall be made in the specification under sub-clause (A) of clause (ii) of sub-section (4) of section 10 shall be three months from the date of filing of the application.

Provided that in case of a request for early publication, such reference shall be made on or before the date of filing of request for early publication under sub-section(2) of section 11 A"

(9) If the invention as disclosed in the specification uses the biological material from India, the applicant shall provide a declaration in Form 1 that the necessary permission from the competent authority shall be submitted before the grant of patent and

(10) In case the applicant has not submitted necessary permission from the competent authority within the period as prescribed under rule 24B and 24C to put the application in order for grant under section 21 of the Act, the Controller may pass an appropriate order after providing opportunity under section 15".

8. **In the principal rules, for rule 14, the following rule shall be substituted, namely:-**

" 14 Amendments to Specifications:-

(1) When amendments are made to a complete specification or any drawing accompanying it, the page incorporating such amendment shall be retyped and submitted to form a continuous document.

(2) A marked copy clearly identifying the amendments carried out and indicating the portion (page number and line number) of the specification or drawing being amended shall also be filed.

(3) Amendments shall not be made by slips pasted on, or as footnotes or by writing in the margin of any of the said documents and

(4) When a retyped page or pages incorporating amendments are submitted, the corresponding earlier page shall be deemed to have been superseded and cancelled by the applicant or his authorised agent.

9. **In the principal rules, in rule 20,** for sub-rule (1), the following shall be substituted, namely:-

'(1) An application corresponding to an international application filed under Patent Cooperation Treaty may be made in Form 1 under sub-section (1A) of section 7.

Explanation. For the purpose of this rule, "corresponding to an international application" means an international application as filed under International phase of Patent Cooperation Treaty which includes any amendments made by the applicant under Article 19, and communicated to Designated office under Article 20 or any amendment made under sub clause (b) of clause (2) of Article 34 of the Treaty."

10. **In the principal rules**, in rule 24 B-

(i) after sub-rule (1), following sub-rule shall be inserted, namely:-

(1A) A request for examination filed under sub-rule 1 may be withdrawn by the applicant in Form 29 before the application is referred to the examiner by the controller under clause (i) of sub rule (2) of rule 24B , and such request for examination shall be deemed to have been not filed.";

(ii) in sub-rule 2, for clause (i), the following shall be substituted, namely:-

" (i) Where the request for examination has been filed under sub-rule (1) and application has been published under section 11A, the Controller shall refer the application, specification and other documents related thereto to the examiner and such reference shall be made in order in which the request is filed:

Provided that in case of further application filed under section 16, the order of reference of such further application shall be the same as that of the first mentioned application:

Provided further that in case the first mentioned application has already been referred for examination , the further application shall be referred to the examiner immediately after the request of examination has been filed for such application.";

(iii) for sub-rules (3) and (4), the following clauses shall be substituted, namely:-

"(3) A first examination report along with other documents as may be required, shall be sent to the applicant or his authorised agent ordinarily within one month from the date of the disposal of the report of the examiner by the Controller under clause (iii) of sub rule (2):

Provided that in case where request for examination has been filed by other interested person, only an intimation of such examination may be sent to such interested person and

(4) The time for putting an application in order and under section 21 shall be f**our** months from the date on which the first statement of examination is issued to the applicant to comply with the requirement and

(5) The time for putting an application in order under section 21 as prescribed under sub rule (4) may be further extended for a period of two months on a request in form 4 for extension of time along with prescribed fee is made to the Controller before the expiry period specified under sub rule (4).

(6) The Controller shall dispose of the application made under sub-rule (1) within a period of six months from the date of receipt of the last reply to the first examination report or within a period of six months from the last date to put the application in order for grant under section 21 of the Act, whichever is earlier.

(7) Notwithstanding anything contained in sub-rule (6), the applications where the reply to the first examination report have been filed on or before the commencement of the Patents (Amendment) Rules, 2015 and the date for putting the application in order as prescribed in sub-rules (4) and (5) is over, the Controller shall dispose of such applications within a period of two years from date of receipt of the last reply."

11. After rule 24B, the following shall be inserted, namely:-

(1) **" 24C. Expedited examination of applications.-** An applicant may file a request for expedited examination in Form 18A along with the fee as specified in the first schedule only by electronic transmission duly authenticated within the period as prescribed in rule 24B on the following grounds, namely ,

(a) that the applicant in the corresponding international application has designated Indian Patent Office as the International Searching Authority and/ or International Preliminary Examining Authority under Rule 19A and 19F as the case may be; or

(b) the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) has already started manufacturing of the invention in India; or

(c) that the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) undertakes that manufacturing the invention shall commence within two years from the date of grant of patent, if the same is granted;

Provided that in case where such request for expedited examination is filed under grounds (b) or (c) the application shall be considered only after fulfillment of each of the following conditions, namely:

(i) that the applicant shall, at the time of filing a request for the expedited examination, submit a corroborating statement from a scheduled bank or authorised financial institution or certified auditor in India as an evidence in support of the possession of required capital as specified by the Central Government and facilities required to manufacture or undertake the manufacture of the invention in India in required quantities as specified by the Central Government; and

(ii) that in case of a prospective manufacturer who would be the licensee, the applicant shall submit the licence agreement entered into by the applicant or his assignee with the licensee; and

(iii) the claim or claims of the complete specification for which the request is made shall not be more than twenty claims and relate to a single invention, or to a group of inventions linked so as to form a single inventive concept; and

(iv) the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee), shall submit the affidavit in Form 27A at the time of filing the request for expedited examination to the effect that –

a) the manufacturing of the invention in India has already started or shall commence within two years from the date of grant of patent, if granted;

b) capital and facilities as specified by the Central Government are available for manufacturing the invention in India in required quantities, and

c) the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) obligates himself, herself or itself to manufacture the patented invention in India in required quantities.

(2) An applicant who has already filed a request for examination under rule 24 B may convert the said request to the request for expedited examination under rule 24C by paying the difference in the fees and submitting requisite documents as required under rule 24C, and consequently, the date of filing of such request for expedited examination shall be the date on which the fee for conversion has been paid by the applicant along with requisite documents.

(3) If the applicant has failed to satisfy the ground on which the expedited request for examinationis filed or fails to satisfy any of the conditions as mentioned in sub-rule (1), the Controller shall not refer such request to the examiner for expedited examination and shall process the request as under rule 24B with an intimation to the applicant;

Provided that the fee paid for expedited examination shall not be refunded.

(4) On receipt of the request for expedited examination, the Controller shall refer the same along with the application and specification and other documents to the examiner in the serial order of filing of such requests.

(5) The period within which the examiner shall make the report under sub-section (2) of section 12, shall ordinarily be one month but not exceeding two months from the date of reference of the application to him by the Controller.

(6) The period within which the Controller shall dispose of the report of the examiner shall ordinarily be one month from the date of the receipt of such report by the Controller.

(7) A first examination report along with the application and specification shall be sent by the Controller to the applicant or his authorised agent immediately but not later than one month after the disposal of the report of examiner.

(8) The reply to the first examination report along with the subsequent reply, if any, shall be processed in the order in which replies are received in case of expedited examination.

(9) The time for putting an application in order for grant under section 21 shall be four months from the date on which the first statement of examination is issued to the applicant to comply with the requirements.

(10) The time for putting an application in order for grant under section 21 as prescribed in sub rule (9) may be further extended for a period of two months on a request for extension in form 4 is made to the Controller for extension of time along with prescribed fee is made to the Controller before the expiry of the period specified under sub-rule (9).

11) The Controller shall dispose off the application within a period of three months from the date of receipt of the last reply to the first examination report or within a period of three months from the last date to put the application in order for grant under section 21 of the Act, whichever is earlier.

(12) The applicant or his assignee or prospective manufacturer shall submit to the Controller the status report with regard to manufacturing the invention in India on annual basis.

(13) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) and (2), the Controller may limit the number of requests for expedited examination to be received during the year by way of a notice to be published in the official journal for such expedited examination.

"24 D. Opposition proceedings and consequences of false representation:

(1) The relevant provisions in the Act, and the rules made thereunder, for pre-grant and post-grant opposition proceedings shall be applicable *mutatis mutandis*, as the case may be, for processing an application for which the request for expedited examination has been filed.

(2) Any false information or false representation furnished by the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) for filing the expedited examination and thereafter, or for obtaining the patent by availing the expedited examination facility and not complying with the conditions as prescribed under the Act and the rules made thereunder after the grant of patent, may cause revocation, if granted, under the relevant provisions of the Act".

12. In the principal rules, for Rule 26 the following shall be substituted, namely:-

"26. A request for withdrawing the application under sub-section (4) of section 11B shall be made in Form 29A."

13. In the principal rules in rule 28, after sub-rule (5), the following sub-rule (6) shall be inserted, namely:-

(6) The hearing may also be held through video- conferencing or other communication devices and, in such case, a written submission and the relevant documents may be filed within fifteen working days from the date of hearing.

Explanation – For the purposes of this rule, the expression "communication device" has the same meaning as assigned to it in clause (ha) of sub section (ii) of section 2 of the Information Technology Act, 21 of 2000.

14. In the principal rules, in rule 55 sub-rules (4), (5) and (6) the following sub-rules shall be substituted, namely-

"(4) On receiving the notice under sub-rule (3), the applicant shall, if he so desires, file his statement and evidence, if any, in support of his application within three months from the date of the notice with a copy to the opponent.

(5) On consideration of the statement and evidence filed by the applicant, the Controller may either refuse to grant a patent on the application or require the complete specification and other documents to be amended to his satisfaction before the patent is granted.

(6) After considering the representation and submission made during the hearing if so requested, the Controller shall decide on the representation, ordinarily within one month from the completion of above proceedings."

15. **In the principal rules, in rule 71 for sub-rule (2), the following shall be substituted namely:-**

"(2) The time within which the Controller disposes of the request made under sub-rule (1), except in case of inventions relating to defence or atomic energy applications, shall ordinarily be within a period of twenty-one days from the date of filing of such request.

(3) In case of inventions relating to defence or atomic energy applications, the period of twenty one days shall count from the date of receipt of consent from the Central Government".

16. **In the principal rules, for rule 93 , the following shall be substituted, namely:-**

"93. Entry of Renewal fee:- Upon receipt of the payment of the prescribed renewal fee in respect of a patent, the Controller shall enter in the register of patents the fact that the fee has been paid and the date of payment of such fee and issue a certificate of renewal of the patent."

17. **In the principal rules, in rule 103, in** sub-rule (2) for clause (ii)the following shall be substituted, namely:-

"(ii) has at least fifteen years technical, practical or research experience; and".

18. **In the principal rules, after rule 103, the following rule shall be inserted, namely:**

"103A. Disqualifications for inclusion in Roll of Scientific Adviser - A person shall not be eligible to be included in the roll of Scientific advisor, if he-

(i) has been adjudged by a competent court to be of unsound mind;

(ii) is an undischarged insolvent;

(iii) being a discharged insolvent, has not obtained from the court a certificate to the effect that his insolvency was caused by misfortune without any misconduct on his part;

(iv) has been convicted by a competent court, whether within or outside India of an offence to undergo a term of imprisonment, unless the offence of which he has been convicted has been pardoned or unless on an application made by him, the Central Government has, by order in this behalf, removed the disability;

(v) has been guilty of professional misconduct; or

(vi) has been guilty of negligence or misconduct".

19. In the principal rules, for rule 104, the following shall be substituted, namely:-

"104. Manner of application for inclusion in the roll of scientific advisers- Any interested person may apply to the Controller for inclusion of his name in the roll of scientific advisers by furnishing his bio-data".

20. **In the principal rules, in rule 107, for clause** (c) and proviso thereunder, the following shall be substituted and new clause(d) will be inserted, namely:-

"(c) such person has been convicted of an offence and sentenced to a term of imprisonment or has been guilty of misconduct in his professional capacity and the Controller is of the opinion that his name should be removed from the roll; or

(d) when he is dead;

Provided that, except in the cases falling under clause (b) above, before removing the name of any person from the roll of scientific advisers under this rule, such person shall be given a reasonable opportunity of being heard.".

21**. In the principal rules in rule 108, for** sub-rule (1) the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1)The register of patent agents maintained under section 125 shall contain the name, nationality, address of the principal place of business, addresses of branch offices, if any, the qualifications, the date of registration of every registered patent agent and the details of their renewal of registration".

22. **In the principal rules in rule 109,** the following sub-rule (3) shall be substituted, namely:-

"(3) A person desirous to appear in the qualifying examination under rule 110 shall make a request to the Controller along with the fee specified in the First Schedule after notification of such examination and within the period as specified in the notification".

23**. In the principal rules in rule 116 clause (d) the following shall be substituted , namely:-**

"(d) if he has defaulted in the payment of fees specified in rule 115, by more than three months after they are due; or

(e) if he ceases to be a citizen of India:

Provided that, exceptunder clause (a) and (b), before removing the name of any person from the register of patent agents under this rule, such person shall be given a reasonable opportunity of being heard."

24. **In the principal rules after rule 129 the following rule shall be inserted, namely:-**

129A Adjournment of hearing- An applicant for patent or a party to the proceeding may make a request for adjournment of the hearing with reasonable cause with the prescribed fee prescribed in First Schedule, at least five working days before the date of hearing and the Controller, if he thinks fit to do so, and upon such terms as he may direct, may adjourn the hearing and intimate the applicant accordingly:

Provided that the Controller shall not adjourn the hearing for more than three occasions and each adjournment shall not be for more than fifteen days".

25. **In the principal rules for rule 133 the following rule shall be substituted, namely:-**

"**133. Supply of certified copies and certificates under sections 72 and 147 .-**

(1) Certified copies of any entry in the register, or certificates of, or extracts from patents, specifications and other public documents in the patent office, or from registers and other records including records in computer floppies, diskettes or any other electronic form kept there, may be furnished by the Controller on a request therefor made to him and on payment of the fee specified therefor in the First Schedule provided that certified copies shall be issued in the order in which request is filed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), certified copies can be obtained expeditiously ordinarily within a period of one week if such request is made along with the fee specified therefore in the First Schedule."

26. **In the principal rules in rule 135**for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

(1) The authorization of an agent for the purposes of the Act and these rules shall be filed in Form 26 or in the form of a power of attorney at the time of filing of the application/documents or within a period of three months from the date of filing of such application/document, failing which no action shall be taken on such application/documents for further processing.

27. **In the principal rules in rule 138** for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

"(1) Except for the time prescribed in the sub-rule (6) of rule 13, clause (i) of sub-rule (4) of rule 20, rule 24B, rule 24C, sub-rule (4) of rule 55, sub-rule (1) of rule 130, sub-rule (2) of rule 130 and sub-rule (1A) of rule 80, the time prescribed in other rules for doing of any act or the taking of any proceeding thereunder may be extended by the Controller for a period of one month, if he thinks it fit to do so and upon such terms as he may direct".

28. In the principal rules, for the First Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely :---

"THE FIRST SCHEDULE

(See rule 7)

Table I - FEES PAYABLE

Number of entry	On what payable	Number of the relevant Form	For e-filing			For physical filing		
			For natural person (s)	For person other than natural person(s) either alone or jointly with natural person(s)		For natural person (s)	For person other than natural person(s) either alone or jointly With natural person(s)	
				For small entity	For others except small entity		For small entity	For Others except small entity
1.	2	3	4	5	6	7	8	9
			Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees	Rupees
1.	On application for a patent under sections 7, 54 or 135 and rule 20(1) accompanied by provisional or complete specification— (i) for each page of specification (including sequence listings) in addition to 30 (ii) for each claim in addition to 10. (iii) for each page of sequence listing of nucleotide and, or amino acid under sub-rule(4) of Rule (9)	1	1600 Multiple of 1600 in case of every multiple priority. (i) 160 (ii) 320 (iii)160 with maximum of 32,000	4000 Multiple of 4000 in case of every multiple priority. (i) 400 (ii) 800 (iii) 400 with maximum of 80,000	8,000 Multiple of 8,000 in case of every multiple priority. 00 (ii) 1600 (iii) 800 with maximum of 1,60,000	1760 Multiple of 1760 in case of every multiple priority. (i) 176 (ii) 352 (iii) 176 with maximum of 35,200	4400 Multiple of 4400 in case of every multiple priority. (i) 440 (ii) 880 (iii) 440 with maximum of 88,000	8800 Multiple of 8,800 in case of every multiple priority. (i) 880 (ii) 1760 (iii) 880 with maximum of 1,76,000

2.	On filing complete specification after provisional upto 30 pages having up to 10 claims- (i) for each sheet of specification in addition to 30; (ii) for each claim in addition to 10.	2	No fee (i) 160 (ii) 320	No fee (i) 400 (ii) 800	No fee (i) 800 (ii) 1600	No fee (i) 176 (ii) 352	No fee (i) 440 (ii) 880	No fee (i) 880 (ii) 1760
3.	On filing a statement and undertaking under section 8.	3	No fee	fee	No fee	No fee	No fee	No fee
4.	i) On request for extension of time under sections 53(2) and 142(4), rules 13(6), 80(1A) and 130 (per month).	4	480	1200	2400	550	1300	2650
	ii) On request for extension of time under sub-rule (5) of rule 24B.	4	1000 (per month)	2000 (per month)	4000 (per month)	1100 (per month)	2200 (per month)	4400 (per month)
	iii) On request for extension of time under sub-rule (10) of rule 24C.	4	5000 (per month)	10000 (per month)	20000 (per month)	5500 (per month)	11000 (per month)	22000 (per month)
5.	On filing a declaration as to inventorship under sub-rule (6) of rule 13.	5	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
6.	On application for postdating.	-	800	2000	4000	900	2200	4400
7.	On application for deletion of reference under section 19 (2).	-	800	2000	4000	900	2200	4400
8.	(i) On claim under section 20(1); (ii) On request for direction under section 20 (4) or 20 (5).	6 6	800 800	2000 2000	4000 4000	900 900	2200 2200	4400 4400
9.	On notice of opposition to grant of patent under section 25(2).	7	2400	6000	12000	2650	6600	13200
9A.	(i) On filing representation opposing grant of patent under section 25(1);	7A	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee

10.	On giving notice that hearing before Controller shall be attended under sub-rule (2) of rule 62.	-	1500	3750	7500	1650	4150	8250
11.	On application under sections 28(2), 28(3) or 28(7).	8	800	2000	4000	900	2200	4400
12.	Request for publication under section 11A(2) and rule 24A.	9	2500	6250	12500	2750	6900	13750
13.	Application for withdrawing the application under section 11B(4) and sub-rule (1) of rule 26 before publication of the application.	29	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
14.	On request for examination of application for patent— (a) under section 11B and sub-rule (1) of rule24; (b) under clause (ii) of sub-rule (4) of rule 20.	18	4000 5600	10000 14000	20000 28000	4400 6150	11000 15400	22000 30800
14A	On request for expedited examination of application for patent under rule 24C (up to 20 claims).	18A	50000	125000	250000	55000	137500	2750000
14B	Conversion of the Request for Examination filed under rule 24B to Request for expedited examination under rule 24 C (up to 20 claims)	18 A	46000	115000	230000	50600	126500	253000
15.	On application under section 44 for amendment of patent.	10	2400	6000	12000	2650	6600	13200
16.	On application for directions under section 51(1) or 51(2).	11	2400	6000	12000	2650	6600	13200
17.	On request for grant of a patent under sections 26(1) and 52(2).	12	2400	6000	12000	2650	6600	13200
18.	On request for converting a patent of addition to an independent patent under section 55 (1).	--	2400	6000	12000	2650	6600	13200

19.	For renewal of a patent under section 53-							
(i)	before the expiration of the 2nd year from the date of patent in respect of 3rd year;	-	800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	before the expiration of the 3rd year in respect of the 4th year;	-	800	2000	4000	900	2200	4400
(iii)	before the expiration of the 4th year in respect of the 5th year;	-	800	2000	4000	900	2200	4400
(iv)	before the expiration of the 5th year in respect of the 6th year;	-	800	2000	4000	900	2200	4400
(v)	before the expiration of the 6th year in respect of the 7th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vi)	before the expiration of the 7th year in respect of the 8th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(vii)	before the expiration of the 8th year in respect of the 9th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(viii)	before the expiration of the 9th year in respect of the 10th year;	-	2400	6000	12000	2650	6600	13200
(ix)	before the expiration of the 10th year in respect of the 11th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(x)	before the expiration of the 11th year in respect of the 12th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xi)	before the expiration of the 12th year in respect of the 13th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xii)	before the expiration of the 13th year in respect of the 14th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400
(xiii)	before the expiration of the 14th year in respect of the 15th year;	-	4800	12000	24000	5300	13200	26400

(xiv)	before the expiration of the 15th year in respect of the 16th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xv)	before the expiration of the 16th year in respect of the 17th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvi)	before the expiration of the 17th year in respect of the 18th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xvii)	before the expiration of the 18th year in respect of the 19th year;	-	8000	20000	40000	8800	22000	44000
(xviii)	before the expiration of the 19th year in respect of the 20th year.		8000	20000	40000	8800	22000	44000
20.	On application for amendment of application for patent or complete specification or other related documents under section 57—	13						
(i)	before grant of patent;		800	2000	4000	900	2200	4400
(ii)	after grant of patent;		1600	4000	8000	1750	4400	8800
(iii)	where amendment is for changing name or address or nationality or address for service.		320	800	1600	350	900	1750
21.	On notice of opposition to an application under sections 57(4), 61(1) and 87(2) or to surrender a patent under section 63(3) or to a request under section 78(5).	14	2400	6000	12000	2650	6600	13200
22.	On application for restoration of a patent under section 60.	15	2400	6000	12000	2650	6600	13,200
23.	Additional fee for restoration.	--	4800	12000	24000	5300	13200	26400
24.	On notice of offer to surrender a patent under section 63.	--	1000	2500	5000	1100	2750	5500

25	On application for the entry in the register of patents of the name of a person entitled to a patent or as a share or as a mortgage or as licensee or as otherwise or for the entry in the register of patents of notification of a document under sections 69(1) or 69(2) and sub-rules (1) and (2) of rule 90.	16	1600 (In respect of each patent)	4000 (In respect of each patent)	8,000 (In respect of each patent)	1750 (In respect of each patent)	4400 (In respect of each patent)	8,800 (In respect of each patent)
26.	On application for alteration of an entry in the register of patents or register of patent agent under sub-rule (1) of rules 94 or rule 118).	--	320	800	1600	350	900	1750
27.	On request for entry of an additional address for service in the Register of Patents under sub-rule (3) of rule 94.	--	800	2000	4000	900	2200	4400
28.	On application for compulsory license under sections 84(1), 91 (1), 92(1) and 92A.	17	2400	6000	12000	2650	6600	13200
29.	On application for revocation of a patent under section 85(1).	19	2400	6000	12000	2650	6600	13200
30.	On application for revision of terms and conditions of licence under section 88(4).	20	2400	6000	12000	2650	6600	13200
31.	On request for termination of compulsory licence under section 94.	21	2400	6000	12000	2650	6600	13200
32.	On application for registration as a patent agent under sub-rule (1) of rule 109 or rule 112.	22	3200	-	-	3500	-	-
33.	On request for appearing in the qualifying examination under sub-rule (3) of rule 109.	--	1600	-	-	1750		-

34.	For continuance of the name of a person in the register of patent agent— (i) for the 1st year to be paid along with registration; (ii) for every year excluding the1st year to be paid on the 1st April in each year.	- -	800 800	- -	- -	900 900	- -	- -
35.	On application for duplicate certificate of patent agent under rule 111A.	--	1600	-	-	1750		-
36.	On application for restoration of the name of a person in the register of patent agents under sub-rule (1) of rule 117.	23	1600 (Plus continuation fee under entry number 34)	-	-	1750 (Plus continuation fee under entry number 34)	-	-
37.	On a request for correction of clerical error under section 78(2).	--	800	2000	4000	900	2200	4400
38.	On application for review or setting aside the decisions or order of the controller under section 77(l) (f) or 77(l) (g).	24	1600	4000	8000	1750	4400	8800
39	On application for permission for applying patent outside India under section 39 and sub-rule (1) of rule 71.	25	1600	4000	8000	1750	4400	8800
40	On application for duplicate patent under section 154 and rule 132.	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800

41	(i) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and sub-rule (1) of rule 133 .	--	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
	(ii) On request for certified copies under section 72 or for certificate under section 147 and sub-rule (2) of rule 133 .	--	3000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	6000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	12000 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	3300 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)	6600 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page	13200 (up to 30 pages and thereafter, 30 for each extra page)
42	For certifying office copies, printed each.	--	800	2000	4000	900	2200	4400
43	On request for inspection of register under section 72, inspection under rule 27 or rule 74A.	--	320	800	1600	350	900	1750
44	On request for information under section 153 and rule134.	--	480	1200	2400	550	1300	2650
45	On form of authorisation of patent agent.	26	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
46	On petition not otherwise provided for.	--	1600	4000	8000	1750	4400	8800
47	For supplying of photocopies of the documents per page.	--	8	8	8	10	10	10
48	Transmittal fee for International application.	--	3200	8000	16000	3500	8800	17600

49	For preparation of certified copy of priority document and for transmission of the same to the International Bureau of World Intellectual Property Organisation.	--	1000 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2500 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5000 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)	1100 (up to 30 pages and, thereafter, 30 for each extra page)	2750 (up to 30 pages and, thereafter, 75 for each extra page)	5500 (up to 30 pages and, thereafter, 150 for each extra page)
50	On statement regarding working of a patented invention on a commercial scale in India under section 146(2) and sub-rule (1) of rule 131.	27	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
51	To be submitted for claiming the status of a small entity.	28	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee	No fee
52	Request for Adjournment of hearing under rule 129A (for each adjournment)	-	1000	2500	5000	1100	2750	5500
53	aneous form under sub-rule (2) of rule 8	30	As Applicable					

Table II - FEES REFUNDABLE

No. of Entry	On what account fee refundable	Form no.	Refund of fees
54	Request for withdrawal of the refund of fees under sub-rule (1A) of rule 24B	**Form 29A**	90% of fee paid for request for examination

Note:

1) All the Forms, Applications, Requests, Notices and Petitions shall be filed in duplicate unless otherwise specified in the rules.

2) Fee as indicated above against each activity shall be rounded to nearest 100.

29. **In the Principal rules, in the Second Schedule under the heading "FORMS" , in the "LIST OF FORMS"---**

(i) against "Form No. 4", for entry under column number 2 entries shall be substituted, namely:-

"Sections 53(2), and 142 (4); sub-rule (1A) of rule 80(1A)."

(ii) against "Form No. 13", for entries under column number 3, ,the entry shall be substituted, namely:-

"Application for amendment of the application for patent or complete specification or any document related thereto;"

(iii) after "Form No. 18", the following shall be inserted, namely:-

1	2	3
"18A	Section 11 B and Rule 24C	Request for expedited examination of application for patent"

(iv) after "Form No. 28", the following shall be inserted, namely:-

"29	Clause(ii) of subrule 4 of rule 7, rule 26	Request for withdrawal of request for examination and Request for withdrawal of a pplication For Patent;

(v) after "Form No. 29", the following shall be inserted, namely:-

"30	sub-rule (2) of rule 8	To be used when no other form is prescribed."

30. **In the Principal rules, in the Second Schedule,-**

(i) for "Form No. 1", the following Form shall be substituted, namely:-

<table>
<tr><td colspan="3" rowspan="6">FORM 1
THE PATENTS ACT 1970(39 of 1970) and
THE PATENTS RULES, 2003
APPLICATION FOR GRANT OF PATENT
(See section 7, 54 and 135 and rule sub-rule (1) of rule 20</td><td colspan="3">(FOR OFFICE USE ONLY)</td></tr>
<tr><td>Application No.</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Filing date:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Amount of Fee paid:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>CBR No:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>Signature:</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="3">1. APPLICANT'S REFERENCE / IDENTIFICATION NO. (AS ALLOTTED BY OFFICE)</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="6">2. TYPE OF APPLICATION [Please tick (✓) at the appropriate category]</td></tr>
<tr><td colspan="2">Ordinary ()</td><td colspan="2">Convention ()</td><td colspan="2">PCT-NP()</td></tr>
<tr><td>Divisional ()</td><td>Patent of Addition ()</td><td>Divisional ()</td><td>Patent of Addition()</td><td>Divisional ()</td><td>Patent of Addition()</td></tr>
<tr><td colspan="6">3. APPLICANT(S)</td></tr>
<tr><td colspan="2">Name in Full</td><td>Nationality</td><td>Country of Residence</td><td colspan="2">Address of the Applicant</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td rowspan="6"></td><td>House No.</td><td></td></tr>
<tr><td>Street</td><td></td></tr>
<tr><td>City</td><td></td></tr>
<tr><td>State</td><td></td></tr>
<tr><td>Country</td><td></td></tr>
<tr><td>Pin code</td><td></td></tr>
</table>

4. CATEGORY OF APPLICANT [Please tick (✓) at the appropriate category]			
Natural Person ()	Other than Natural Person		
	Small Entity ()		Others ()

5. INVENTOR(S) [Please tick (✓) at the appropriate category]		
Are all the inventor(s) same as the applicant(s) named above?	Yes()	No()
If "No", furnish the details of the inventor(s)		

Name in Full	Nationality	Country of Residence	Address of the Inventor	
			House No.	
			Street	
			City	
			State	
			Country	
			Pin code	

6. TITLE OF THE INVENTION

7. IF BIOLOGICAL MATERIAL IS USED IN THE INVENTION [Please tick (✓) at the appropriate category]	
Yes()	No()
If "Yes", indicate the name of the country of source and geographical origin of the biological material used in the invention	
Source of the Biological Material	Geographical Origin of the Biological Material

8. AUTHORISED REGISTERED PATENT AGENT(S)	INPA No.	
	Name	

9. ADDRESS FOR SERVICE OF APPLICANT IN INDIA	Name	
	Postal Address	
	Telephone No.	
	Mobile No.	
	Fax No.	
	Email ID	

10. IN CASE OF APPLICATION CLAIMING PRIORITY OF APPLICATION FILED IN CONVENTION COUNTRY, PARTICULARS OF CONVENTION APPLICATION					
Country	Application Number	Filing date	Name of the applicant	Title of the invention	IPC (as classified in the convention country)

11. IN CASE OF PCT NATIONAL PHASE APPLICATION, PARTICULARS OF INTERNATIONAL APPLICATION FILED UNDER PATENT CO-OPERATION TREATY (PCT)

International application number	International filing date

12. IN CASE OF DIVISIONAL APPLICATION FILED UNDER SECTION 16, PARTICULARS OF ORIGINAL (FIRST) APPLICATION

Original (first) application No.	Date of filing of original (first) application

13. IN CASE OF PATENT OF ADDITION, APPLICATION FILED UNDER SECTION 54, PARTICULARS OF MAIN APPLICATION OR PATENT

Main application/patent No.	Date of filing of main application

14. DECLARATIONS

(i) Declaration by the inventor(s)

(**In case the applicant is an assignee**: the inventor(s) may sign herein below or the applicant may upload the assignment or enclose the assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period)

I/We, the above named inventor(s) is/are the true & first inventor(s) for this Invention and declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee or legal representative.

(a) Date

(b) Signature(s)

(c) Name(s)

(ii) Declaration by the applicant(s) in the convention country

(**In case the applicant in India is different than the applicant in the convention country:** the applicant in the convention country may sign herein below or applicant in India may upload the assignment from the applicant in the convention country or enclose the said assignment with this application for patent or send the assignment by post/electronic transmission duly authenticated within the prescribed period)

I/We, the applicant(s) in the convention country declare that the applicant(s) herein is/are my/our assignee (a) Date

(b) Signature(s)

(c) Name(s) of the signatory

(iii) Declaration by the applicant(s)

I am /We are, the applicant(s) hereby declare that: -

€ I am/We are in possession of the above-mentioned invention.

€ The provisional/complete specification relating to the invention is filed with this application.

€ The invention as disclosed in the specification uses the biological material from India and the necessary permission from the competent authority shall be submitted by me/us before the grant of patent to me/us.

€ There is no lawful ground of objection(s) to the grant of the Patent to me/us.

€ I am/we are the true & first inventor(s).

€ I am/we are the assignee or legal representative of true & first inventor(s).

€ The application or each of the applications, particulars of which are given in Paragraph-9, was the first application in convention country/countries in respect of my/our invention(s).

€ I/We claim the priority from the above mentioned application(s) filed in convention country/countries and state that no application for protection in respect of the invention had been made in a convention country before that date by

me/us or by any person from which I/We derive the title.

€ My/our application in India is based on international application under Patent Cooperation Treaty (PCT) as mentioned in Paragraph-10.

€ The application is divided out of my /our application, which contains plurality of distinct inventions, particulars of which is given in Paragraph-11 and pray that this application may be treated as deemed to have been filed on DD/MM/YYYY under section 16 of the Act.

€ The said invention is an improvement in or modification of the invention particulars of which are given in Paragraph-12.

15. FOLLOWING ARE THE ATTACHMENTS WITH THE APPLICATION

(a) Form 2

Item	Number of pages	Fee	Remarks
Description including cover page (Complete/provisional)#			
Claim(s)			
Abstract			
Drawing(s)			

In case of a complete specification, if the applicant desires to adopt the drawings filed with his provisional specification as the drawings or part of the drawings for the complete specification under rule 13(4), it is required to mention the number of such pages filed with the provisional specification.

(b) Complete specification (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(c) Sequence listing in electronic form

(d) Drawings (in conformation with the international application)/as amended before the International Preliminary Examination Authority (IPEA), as applicable (2 copies).

(e) Priority document(s) or a request to retrieve the priority document(s) from DAS (Digital Access Service) if the applicant had already requested the office of first filing to make the priority document(s) available to DAS.

(f) Translation of priority document/Specification/International Search Report/International Preliminary Report on Patentability.

(g) Statement and Undertaking on Form 3

(h) Declaration of Inventorship on Form 5

(i) Power of Authority

(j) ……..

Total fee □...in Cash/ Banker's Cheque /Bank Draft bearing No..... Date……...on ……. .Bank.

I/We hereby declare that to the best of my/our knowledge, information and belief the fact and matters slated herein are correct and I/We request that a patent may be granted to me/us for the said invention.

Dated this……day of…….20……

Signature:

Name:

To,

The Controller of Patents

The Patent Office, at……..

Note: -

*Repeat boxes in case of more than one entry.

*To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent otherwise where mentioned.

*Tick (✓)/cross (x) whichever is applicable/not applicable in declaration in paragraph-13.

*Strike out the portion which is/are not applicable.

*For fee: See First Schedule";

(ii) For "Form No. 2", the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 2

THE PATENT ACT 1970 (39 of 1970) and

THE PATENTS RULES, 2003

PROVISIONAL/COMPLETE SPECIFICATION

(See section 10 and rule 13)

1. TITLE OF THE INVENTION

2. APPLICANT (S)

(a) NAME:

(b) NATIONALITY:

(c) ADDRESS:

3. PREAMBLE TO THE DESCRIPTION

PROVISIONAL	**COMPLETE**
The following specification describes the invention.	The following specification particularly describes the invention and the manner in which it is to be performed.

4. DESCRIPTION (Description shall start from next page)

The headings of the part of the description shall preferably be as follows:

(i) Field of Invention (ii) Background Prior Art (iii) Object(s) of Invention (iv) Summary of Invention (v) Brief Description of Accompanying Drawings (vi) Detailed Description of the Invention Including Best Method(s) for Carrying out the Invention (vii) Industrial Applicability (viii) List of Citations (in separate page)
5. CLAIMS (not applicable for provisional specification. Claims should start with the preamble- **"I/We claim"** on separate page)
6. DATE AND SIGNATURE (to be given at the end of last page of specification)
7. ABSTRACT OF THE INVENTION (to be given along with complete specification on separate page)
Note: • Repeat boxes in case of more than one entry. • To be signed by the applicant(s) or by authorized registered patent agent • Name of the applicant should be given in full , family name in the beginning • Complete address of the applicant should be given stating the postal index no./code, state and country • Strike out the portion(s) which is/are not applicable

(iii) For "Form No. 3", the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 3
THE PATENTS ACT, 1970
(39 of 1970)
and
THE PATENTS RULES, 2003
STATEMENT AND UNDERTAKING UNDER SECTION 8
(See section 8; Rule 12)

1. Name of the applicant(s).			**I/We……** **……** **…….** **hereby declare:**		
2. Name, address and nationality of the joint applicant.			(i) that I/We have not made any application for the same/substantially the same invention outside India Or (ii) that I/We who have made this application No…….dated ……..alone/jointly with ……., made for the same/substantially same invention, application(s) for patent in the other countries, the particulars of which are given below:		
Name of the country	Date of application	Application No.	Status of the application	Date of publication	Date of grant
3. Name and address of the assignee			(iii) that the rights in the application(s) has/have been assigned to…… ……..		

	that I/We undertake that upto the date of grant of the patent by the Controller, I/We would keep him informed in writing the details regarding corresponding applications for patents filed outside India within six months from the date of filing of such application. Dated this……day of……..20…..
4. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent.	Signature. …….
5. Name of the natural person who has signed.	(……).
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- Strike out whichever is not applicable;	

(iv) for "Form No. 4", the following Form shall be substituted, namely:-

(FORM 4) THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 **REQUEST FOR EXTENSION OF TIME** [See sections 53(2), and 142 (4); rules 24B(5), 24C(10) and 80(1A)]	
1. Name of the applicant	I/We……... …… …….. hereby request for extension of time for ……..months(s) under section/rule……in connection with my/our/application/Patent No…… The reasons for making the request are as follows:- …… ……. Dated this…….day of …….20….
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	Signature (…….)
3. Name of the natural person who has signed	
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- For fee: See First Schedule;	

(v) for "Form No. 13", the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 13 THE PATENTS ACT, 1970 (39 of 1970) and THE PATENTS RULES, 2003 **APPLICATION FOR AMENDMENT OF THE APPLICATION FOR PATENT/ COMPLETE SPECIFICATION/ANY DOCUMENT RELATED THERETO** [See section 57; sub rule (1) of rule 81]	
1. Name of the applicant(s).	I/We……... …… request leave to amend the application/any document related thereto/complete specification with respect to application for patent No…….dated……as highlighted in the copy hereto annexed. My/Our reason for making this request are as follows:- …….. …….. I/We declare that no action for infringement or for the revocation of the patent in question is pending before Appellate Board or a Court. I/We declare that the facts and matters stated herein are true to the best of my/our knowledge information and belief.
2. To be signed by the applicant(s) or patentee(s) or by his authorized registered patent agent	Dated this……..day of……20…… Signature…….
3. Name of the natural person who has signed	(…….)
	To The Controller of Patents, The Patent Office, at……
Note.- For fee: See First Schedule.";	

(vi) after Form 18, the following Form shall be inserted, namely:-

FORM 18 A **THE PATENTS ACT,1970** **and THE PATENT RULES,2003** **REQUEST FOR EXPEDITED EXAMINATION OF APPLICATION FOR PATENT** **[See section 11B and Rule 24C]**	(FOR OFFICE USE ONLY) RQ. No.: Filing Date: Amount of fee Paid: CBR no: Signature:

1. APPLICANT(s)

(A)NAME:

(B) NATIONALITY:

(C) ADDRESS:

2. I/We ----------hereby request that my/our application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled ----------shall be examined under sections 12 and 13 of the Act.

or

I/We hereby request that my/our divisional application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled----------divided out of my/our application no.----------dated----------shall be examined under sections 12 and 13 of the Act.

or

I/We hereby request that my/our request for examination bearing no.----------for application for patent no.----------filed on----------for ----------the----------invention titled ----------may be converted to a request for expedited examination of patent application under rule 24C and the application shall be examined under sections 12 and 13 of the Act.

3. The applicant(s) to indicate (by ticking the appropriate box) any of the grounds applicable in case of request for expedited examination made by on any of the following grounds:

☐ (a) that the applicant in the corresponding international application has designated Indian Patent Office as the International Searching Authority and/ or International Preliminary Examining Authority under Rule 19(A) and 19(F) as the case may be, or

☐ (b) the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) has already started manufacturing of the invention in India, or

☐ (c) that the applicant or his assignee or prospective manufacturer (licensee) undertakes that manufacturing the invention shall commence within two years from the date from the date of grant of patent, if the same is granted.

ADDRESS FOR SERVICE IN INDIA:

Dated this day of 20

Signature

Name of the signatory

To,

The Controller of Patent

The Patent Office, at

NOTE:

To be signed by the app11cant(s) or by his authorized registered patent agent

"Strike out the column which are not applicable.";

(vii) for "Form No. 27", the following Form shall be substituted, namely:-

FORM 27

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

The Patents Rules, 2003

Statement regarding the working of the patented Invention on commercial scale in India

[see section 146 (2) and sub-rule (1) of rule 131]

1. Insert name, address and nationality of the patentee(s) or licensee(s).	In the matter of patent No. ……granted on DD/MM/YYYY I/We …….. ……. hereby furnish the following statement about the working of said patent on commercial scale:		
2. State the calendar year to which the statement relates.	For the year……..		
3. The details of working.	**By Patentee:**		
	Item	Quantum	Value (in Rupees)
	a) Manufactured in India		
	b) Imported from other countries (give country wise details)		
	c) Grant of Licenses		
	By licensee:	Exclusive €	Non-exclusive €
	Item	Quantum	Value (in Rupees)
	a) Manufactured in India		
	b) Imported from other countries (give country wise details)		
	c) Grant of sub-licenses		
4.Details of products commercialized by utilizing the patent			
5. If not worked, please state the reason for not working and steps being taken for working.	By Patentee(s)/Licensee(s):		
6. To be signed by person(s) giving the statement.	Signature of Patentee/Licensee……		
7. Name of the natural person who has signed along with designation and official seal, if any.	(……..)		
	To, The Controller of Patents The Patent office at …….		

Note.- (i) Strike out whichever is not applicable.

(ii) Repeat boxes in case of more than one entry.";

(viii) **after Form No. 28, the following Forms shall be inserted, namely:-**

FORM 29

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES, 2003

REQUEST FOR WITHDRAWAL OF REQUEST FOR EXAMINATION AND REQUEST FOR WITHDRAWAL OF APPLICATION FOR PATENT

[See Section 11B(4) and Rule 7(4) (ii)], Rule 26

1. Name of the applicant	I/We——————————————request that the request for examination numbered _____dated _____filed by me/us in respect of application for patent numbered _____dated_____ be treated as withdrawn under clause (ii) of sub-rule (4) of rule 7 or I/We——————————————request that the application for patent numbered filed by me/us dated_____ be treated as withdrawn under section 11 B (4)and rule 26.
2. To be signed by the applicant or his authorized registered patent agent	
3. Name of the natural person who has signed	Dated ----------day of----------20— Signature (_____) To The Controller of Patents Patent Office at _____

FORM 30

THE PATENTS ACT, 1970

(39 of 1970)

and

THE PATENTS RULES,2003

TO BE USED WHEN NO OTHER FORM IS PRESCRIBED

[See sub-rule (2) of Rule 8]

1. Name of the Applicant/Patentee/Other	I/We …….. …….

<table>
<tr><td rowspan="3">2. Complete address including postal index number/code and State along with email ID, telephone, mobile and fax number.</td><td>House No.
Street</td><td>--
--</td><td>Telephone No.
Mobile No.</td><td>--
----</td></tr>
<tr><td>City
State
Country</td><td>--
--
--</td><td>Fax No.</td><td>--</td></tr>
<tr><td>Pin code</td><td>--</td><td>Email ID</td><td>--</td></tr>
<tr><td>3. Application No. / Patent No.</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>4. Relevant section / rules</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>5. Purpose of request</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>6. Details of request</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td>7. To be signed by applicant</td><td colspan="4">Signature…….</td></tr>
<tr><td>8. Name of the natural person who has signed along with designation and official seal, if any.</td><td colspan="4">(……)</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="4">To,
The Controller of Patents,
The Patent Office,
at …….</td></tr>
</table>

[F.No. 14/3/2014. IPR-III]

RAJIV AGGARWAL, Jt. Secy.

Note : The Prinicipal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3 , sub section ii vide S.O.493 (E) dated the 2nd May, 2003 and subsequently amended vide notification number

(i) S.O. 1418 (E), dated the 28th December, 2004;

(ii) S.O. 657 (E), dated the 5th May, 2006;

(iii) S.O. 2296 (E), dated the 25th September, 2012;

(iv) S.O. 1029 (E), dated the 23rd April, 2013, and

(v) GSR 125 (E) dated the 28th February, 2014.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.